ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति

(2021-2022)

24

सत्रहवीं लोक सभा

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

अनुदानों की मांगें
(2022-2023)

चौबीसवाँ प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

चौबीसवाँ प्रतिवेदन

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति

(2021 -2022)

(सत्रहवीं लोक सभा)

ग्रामीण विकास मंत्रालय
(ग्रामीण विकास विभाग)

अनुदानों की मांगें
(2022 -2023)

16.03.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया

16.03.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2022 / फाल्गुन , 1943 (शक)

सीआरडी सं. 178

मूल्यः रुपये.....

© 2022 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (तेरहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और ---------- द्वारा मुद्रित ।

विषय सूची

पृष्ठ सं.

समिति (2021-22) की संरचना		(ii)
प्राक्कथन		(iii)

प्रतिवेदन

भाग - I

व्याख्यात्मक भाग

अध्याय एक	प्रस्तावना	1
अध्याय दो	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)	9
अध्याय तीन	पचायतों का प्रोत्साहनीकरण	22
अध्याय चार	ग्राम पंचायतों का डिजिटलीकरण	26
अध्याय पांच	स्वामित्व	42
अध्याय छः	पंद्रहवें वित्त आयोग के अनटाइड निधियों का प्रत्यायोजन	49
अध्याय सात	पारदर्शी, जवाबदेह और जीवंत ग्राम पंचायत सुनिश्चित करना	56

भाग - II

सिफारिशें 67

अनुबंध

एक.	समिति की 22.02.22 को हुई 7वीं बैठक के कार्यवाही सारांश	84
दो.	समिति की 14.03.22 को हुई 8वीं बैठक के कार्यवाही उद्दरण	87

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की संरचना

श्री प्रतापराव जाधव -- सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री शिशिर कुमार अधिकारी
3. श्री सी. एन. अन्नादुरई
4. श्री ए.के.पी. चिनराज
5. श्री राजवीर दिलेर
6. श्री विजय कुमार दुबे
7. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया
8. डॉ. मोहम्मद जावेद
9. प्रो. रीता बहुगुणा जोशी
10. श्री नलीन कुमार कटील
11. श्री नरेन्द्र कुमार
12. श्री जनार्दन मिश्र
13. श्री बी.वाई. राघवेन्द्र
14. श्री तालारी रंगैय्या
15. श्रीमती गीताबेन वी. राठवा
16. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह
17. श्री विवेक नारायण शेजवलकर
18. श्री बृजभूषण शरण सिंह
19. श्री के. सुधाकरन
20. डॉ आलोक कुमार सुमन
21. श्री श्याम सिंह यादव

राज्य सभा

22. श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया
23. श्री शांता क्षत्री
24. श्री शमशेर सिंह ढुलो

25. श्री इरण्ण कडाडि
26. डा. वानविरॉय खारलूखी
27. श्री नारणभाई जे. राठवा
28. श्री राम शकल
29. श्री बशिष्ठ नारायण सिंह
30. श्री अजय प्रताप सिंह
31. रिक्त

<u>सचिवालय</u>

1.	श्री डी.आर. शेखर	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री ए. के. शाह	-	निदेशक
3.	श्री निशांत मेहरा	-	उप-सचिव
4.	श्री अर्जुन चौधरी	-	समिति अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (2021-2022) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-2023) के संबंध में चौबीसवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. समिति द्वारा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ड. (1) (क) के अंतर्गत अनुदानों की मांगों की जांच की गई है ।

3. समिति ने 22 फरवरी, 2022 को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया।

4. समिति ने 14 मार्च, 2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया ।

5. समिति ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) के अधिकारियों को विषय की जांच के संबंध में समिति द्वारा अपेक्षित सामग्री उपलब्ध कराने तथा अपनी सुविचारित राय व्यक्त करने के लिए धन्यवाद देती है।

6. समिति, इससे संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों की उनके द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए सराहना करती है।

नई दिल्ली;
14 मार्च, 2022
23 फाल्गुन, 1943 (शक)

प्रतापराव जाधव
सभापति,
ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी
स्थायी समिति

" <u>भारत का भविष्य उसके गाँवों में है -महात्मा गांधी</u> "

भाग एक

व्याख्यात्मक विश्लेषण

<u>अध्याय - एक</u>

<u>प्रस्तावना</u>

1.1 भारत के संविधान में पंचायतों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों को न केवल सभी सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों में, पंचायतों की केंद्रीयता के साथ सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के शक्तिशाली एजेंट के रूप में ग्रामीण परिवर्तन का आधार बनाया जाना परिकल्पित है । ग्राम पंचायतों की , लोगों को जुटाने और प्रेरित करने के लिए जमीनी स्तर पर , ग्रामीण विकास के इंजन के रूप में विशेष भूमिका हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का आर्थिक गतिविधियों के सृजन, प्राकृतिक और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और सेवा वितरण में सुधार पर सीधा असर पड़ता है - जिससे ग्रामीण आबादी के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता और जीवन में आसानी का मार्ग प्रशस्त होता है। 18 विभागों में 29 क्षेत्रों में फैली योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायतों सीधे तौर पर जिम्मेदार और जवाबदेह होने के कारण, कार्यान्वयन और निर्णयों की गुणवत्ता न केवल मतदाताओं, बल्कि निर्वाचित सरपंचों और वार्ड सदस्यों को सीधे प्रभावित करती है।

1.2 पंचायती राज मंत्रालय 27 मई, 2004 को बनाया गया था। इस मंत्रालय का मुख्य अधिदेश संविधान के भाग IXके कार्यान्वयन, पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों और संविधान के भाग IX-अके अनुच्छेद 243ज़ेडडीके संदर्भ में जिला आयोजना समितियों के संचालन में पंचायतों (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) के कार्यान्वयन की निगरानी करना है। चूंकि कानून बनाने सहित अधिकांश कार्य राज्य सरकारों के पास हैं,अत:मंत्रालय पंचायतों के कामकाज में सुधार के संबंध में अपने लक्ष्यों को मुख्य रूप से नीतिगत हस्तक्षेप, समर्थन, क्षमता निर्माण, सहमतिऔर वित्तीय सहायता के माध्यम से मुख्यत: पंचायतों के कामकाज में सुधार के संबंध में लक्ष्यों तक पहुंचने का प्रयास करता है। तदनुसार, मंत्रालय का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को स्थानीय शासन, सामाजिक परिवर्तन और ग्रामीण स्थानीय आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले सार्वजनिक सेवा वितरण तंत्र के लिए एक प्रभावी, कुशल और पारदर्शी वाहक बनाना है।

1.3 पंचायती राज मंत्रालय का उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना है ताकि समावेशी विकास और विकेन्द्रीकृत प्रशासन सुनिश्चित किया जा सके। ऐसा वार्ड मेंबर (पंच) जिनकी संख्या लगभग 25 लाख है और जिनका सरकार की अनेक ग्रामीण विकास कार्यक्रम संबंधी ''परिवर्तन के एजेंट'' के रूप में क्षमता का वर्तमान में दोहन नहीं किया गया है।

1.4 चूंकि "स्थानीय सरकार" संविधान की राज्य सूची में एक विषय है, पंचायती राज मंत्रालयपंचायती राज संस्थानों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करता है, जो सीधे संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों के माध्यम से स्थापित किए जाते हैं। इस दिशा में, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) कार्यान्वित किया जा रहा है और वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी), प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक समग्र योजना, ग्राम पंचायत (जी पी) द्वारा भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से तैयार की जाती है। इसके लिए संसाधनों और कार्यक्रमों के अभिसरण और ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होती है। पंचायत विकास योजना को अब सभी स्तरों अर्थात ब्लॉक और जिला स्तर पर ब्लॉक विकास योजनाओं और जिला विकास योजनाओं के लिए बढ़ा दिया गया है।

1.5 पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज में सुधार के लिए बड़ी संख्या में हितधारकों जैसे पंचों/वार्ड सदस्यों, पदाधिकारियों आदि सहित निर्वाचित प्रतिनिधियों का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबीएंडटी) एक जटिल कार्य है। इसके अलावा, ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए समग्र योजना, विशेष रूप से केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान की एक बड़ी राशि ने सीबी एंड टी के महत्व को और बढ़ा दिया है। तदनुसार, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की पुनर्गठित केंद्र प्रायोजित योजना को भारत सरकार द्वारा सीबीएंडटी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है और वर्ष 2018-19से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

1.6 पंचायतों और उनके प्रतिनिधियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय द्वारा पंचायतों के प्रोत्साहनीकरण की योजना को आरजीएसए के केंद्रीय घटक के रूप में लागू किया गया है। इसके अलावा, पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के कामकाज मेंआमूल-चूल परिवर्तन लानेके लिए,उन्हें और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह बनाते हुए और पंचायतों के कामकाज के विभिन्न पहलुओं जैसे योजना, बजट, कार्यान्वयन, लेखा, निगरानी, सामाजिक लेखा परीक्षा और नागरिक सेवाओं, प्रमाणपत्रों, लाइसेंसों आदि के वितरण जैसे मुद्दों को कार्यान्वित किया जा रहा है। ई-पंचायत पर मिशन मोड परियोजना को भी आरजीएसए के केंद्रीय

घटक के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के बीच विभिन्न सूचनाओं के प्रसार के लिए मीडिया और प्रचार की केंद्रीय क्षेत्र की योजना और पीआरआई से संबंधित विषयों पर अध्ययन करने के लिए कार्य अनुसंधान एवं अनुसंधान अध्ययन की योजना भी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

1.7 पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के डिजीटल इंडिया कार्यक्रम के तहत इ-पंचायत मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपी) कार्यान्वयन कर रही है। उपरोक्त के अलावा मंत्रालय को ग्राम पंचायत के डिजीटलीकरण हेतु भी महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। मंत्रालय ने सीएससी गवर्नेंस सर्विसेज लि. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है ताकि देश भर में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों का डिजीटलीकरण किया जाए।

1.8 स्वामित्व (ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ ग्रामों का सर्वेक्षण और मानचित्रण) दिनांक 24 अप्रैल 2020, को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का उद्देश्य गांवों में बसे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में घर रखने वाले गांव के गृह मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करना और संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करना है।

1.9 भारत के संविधान के अनुच्छेद 280(3) (खख) में कहा गया है कि केंद्रीय वित्त आयोग राज्य में पंचायतों के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। इस बारे में मंत्रालय को नोडल एजेंसी माना गया है। इस प्रावधान के अनुसरण में, मंत्रालय ने पंचायतों के लिए वित्तीय हस्तांतरण में वृद्धि के लिए लगातार अनुवर्ती केंद्रीय वित्त आयोगों को सिफारिश की है।

एक <u>समग्र विश्लेषण</u>

1.10 अनुदानों की मांगों (2022-23), मांग सं. 72, जो पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित है को राज्य सभा के पटल पर 04.02.2022 को रखा गया था, इसमें 868.57 करोड़ रूपए का प्रावधान है जिसमें से 826.20 करोड़ रूपए का प्लान स्कीम है और 42.37 करोड़ रूपए नॉन प्लान/नॉन स्कीम सचिवालय सेवा हेतु नियत है। प्लान स्कीम निधियों का उपयोग राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के कार्यान्वयन एवं छोटी योजनाओं हेतु है जैसे:पंचायतों को प्रोत्साहन, ई-पंचायतों संबंधी मिशन मोड परियोजना, एक्शन अनुसंधान और प्रचार, तथा इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ ग्रामों का सर्वेक्षण और मानचित्रण (स्वामित्व)

योजना भी शामिल है। यह परिव्यय गत वर्ष (2021-22) के बीई 913.43 करोड़ रूपए से 4.91 प्रतिशत कम है। वित्त वर्ष 2022-23 हेतु शीर्ष-वार आवंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रूपए)

क्र.सं.	**योजना का नाम**	**बीई 2022-23**
प्लान स्कीम		
1.	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)	593.00
2.	पंचायतों को प्रोत्साहन	50.00
3.	ई-पंचायतों संबंधी मिशन मोड परियोजना	20.00
4.	एक्शन अनुसंधान और प्रचार	13.00
5.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	0.20
6.	ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ ग्रामों का सर्वेक्षण और मानचित्रण (स्वामित्व)	150.00
नॉन प्लान		
7.	सचिवालय सेवा	42.37
	कुल	868.57

दो **<u>परिव्यय और व्यय</u>**

1.11 पिछले तीन वर्षों 2019-2020, से वर्ष 2021-2022 और बीई वर्ष 2022-2023 के लिए योजना -वार वित्तीय निष्पादन इस प्रकार है :

(राशि करोड़ रूपए में)

क्र. सं	**स्कीम का नाम**	**2019-20**			**2020-21**			**2021-22**			**2022-23**
		बीई	**आरई**	**वास्तविक व्यय**	**बीई**	**आरई**	**वास्तविक व्यय**	**बीई**	**आरई**	**व्यय 05.01.22**	**बीई**
राजस्व व्यय- स्कीम											
1.	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	762.34	432.96	432.90	790.53	499.94	499.93	593.00	618.00	518.10	593.00
2.	पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण	44.00	25.00	25.00	47.00	47.00	49.68	48.00	52.51	47.72	50.00
3.	ई-पंचायतों पर मिशन मोड परियोजना	15.50	7.50	7.25	20.00	17.82	17.79	20.00	11.71	11.22	20.00
4.	मीडिया एवं प्रचार	15.00	5.00	5.25	8.00	10.22	7.50	15.00@	8.02@	4.74@	13.00@
5.	कार्य अनुसंधान एवं अनुसंधान अध्ययन	3.00	0.91	0.91	2.00	2.00	2.00	@	@	@	@
6.	अंर्तराष्ट्रीय सहयोग	0.20	0.15	0.14	0.20	0.16	0.16	0.20	0.17	0.17	0.20
7.	स्वामित्व	0.00	0.00	0.00	0.00	79.65	79.65	200.00	140.00	105.53	150.00
	कुल स्कीम	**840.04**	**471.52**	**471.45**	**867.73**	**656.79**	**656.71**	**876.20**	**830.41**	**687.45**	**826.20**
राजस्व व्यय: (गैर योजना/ गैर स्कीम)											
8.	**सचिवालय सेवा**	31.33	28.48	26.81	33.21	33.21	30.36	37.23	37.97	26.16	42.37
	कुल	**871.37**	**500.00**	**498.26**	**900.94**	**690.00**	**687.07**	**913.43**	**868.38**	**713.61**	**868.57**

@वर्ष 2021-22 से मीडिया और प्रचार और एक्शन रिसर्च एंड रिसर्च प्रचार की योजनाओं को एक्शन रिसर्च एंड पब्लिसिटी के रूप में एक योजना में मिला दिया गया है।

1.12 वर्ष 2019-2020,वर्ष 2020-2021और वर्ष 2021-2022के लिए वर्ष-वार बीई/आरई और वास्तविक व्यय में भिन्नता के कारण पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया :

" वर्ष 2019-20 के दौरान आरई स्तर पर बजट 871.37 करोड़ रुपये से घटाकर 500 करोड़ रुपये और वर्ष 2020-21 में 900.94 करोड़ रुपये से घटाकर 690 करोड़ रुपये कर दिया गया, जो मुख्य रूप से मंत्रालय की एकमात्र प्रमुख योजना अर्थात राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के बजट में कटौती के कारण था।वर्ष 2021-22 के दौरान मंत्रालय के बजट को आरई स्तर पर 913.43 करोड़ रुपये से घटाकर 868.38 करोड़ रुपये कर दिया गया, जो मुख्य रूप से स्वामित्व की केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत आवंटन में कमी के कारण था। हालांकि, इन वर्षों के दौरान व्यय आरई आवंटन का लगभग 100% रहा है। वर्ष 2021-22 के दौरान, दिनांक 05.01.2022 तक 868.38 करोड़ रुपये के आरई आवंटन के मुक़ाबले 713.61 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है, जो आरई आवंटन का लगभग 82% है और उम्मीद है कि यह व्यय 100% हो जाएगा क्योंकि वित्तीय वर्ष में अभी लगभग तीन माह शेष हैं और आरई आवंटन का केवल 18% ही व्यय नहीं किया गया है।"

तीन <u>वित्तीय निष्पादन</u>

वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमान के साथ वर्ष 2018-19 से वापस की गई राशि सहित बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय दर्शाया गया है:

(करोड़ रु)

क्र.सं.	वर्ष	बीई	आरई	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान के संदर्भ में वापस की गई राशि
1.	2018-19	825.17	716.26	686.18	138.99
2.	2019-20	871.37	500.00	498.26	373.11
3.	2020-21	900.94	690.00	687.07	214.69
4.	2021-22	913.43	868.38	713.61 (05.01.2022 तक)	----
5.	2022-23	868.57	---	---	---

1.13 पिछले तीन वर्षों से बजट अनुमान और संशोधित अनुमान स्तर पर बजट में निरंतर अंतराल के कारण पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया:

"मंत्रालय द्वारा आरई स्तर पर अधिक आवंटन की मांग के बावजूद, वित्त मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान आरई स्तर पर भारी कटौती की और मंत्रालय को कम की गई धनराशि आवंटित की।"

1.14 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के बजट अनुमानों के संबंध में वापस सौंपी गई राशि के कारण पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया:

"2018-19, 2019-20 और 2020-21 के बजट अनुमानों के संबंध में सरेंडर की गई राशि का प्रमुख कारण आरई चरण में वित्त मंत्रालय द्वारा लगाई गई बजटीय कटौती है। "

1.15 सचिव , पंचायती राज मंत्रालय ने भी मौखिक साक्ष्य में ऐसा ही बताया **:**

"मुझे स्मरण है और मैंने ही समिति के सामने बताया था कि बगैर हम लोगों से पूछे हमारा दिसम्बर तक का जो एक्सपेंडिचर फिगर था, 498.26 करोड़ रुपये हमारा एक्सपेंडिचर हुआ, वह हम लोगों ने दिसम्बर तक ही उसी वर्ष पूरा कर लिया था लेकिन उन्होंने बगैर मंत्रालय से पूछे सीधे कटौती की थी। पंचायती राज मंत्रालय का ही नहीं, बल्कि और भी मंत्रालयों का किया था, जो 500 करोड़ रुपये कर दिया था और वह सबसे शार्प कट था"।

1.16 यह पूछे जाने पर की क्या मंत्रालय कम आरईबजट स्तरों पर आवश्यकताओं को वित्तपोषित करने में सक्षम था या अपने डोमेन के तहत सभी पहलुओं को कवर करने में बाधाओं/कठिनाई का सामना कर रहा था तो मंत्रालय ने बताया :

"नहीं। वर्ष 2022-23 में आरई चरण में बजट में कमी के कारण कमी को आरई स्तर पर अधिक आवंटन की मांग करके कवर किया जाएगा या बजट की कमी को समायोजित करने के लिए वर्चुअल प्रशिक्षण आयोजित करने जैसी प्रमुख गतिविधियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का सहारा ले सकता है, अगर वारंट किया गया है।"

1.17 आरई चरणों में प्रस्तावित व्यय और वास्तविक व्यय के बीच भारी अंतर को कम करने के लिए मंत्रालय क्या नीतिगत पहल करने का प्रस्ताव करता है तो मंत्रालय ने बताया:

"मंत्रालय ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए जल्द से जल्द आरजीएसए के तहत संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजना (एएपी) को मंजूरी देने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है और संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी अनुमोदित एएपी के अनुसार राशि जारी करने में तेजी लाई है। व्यय की गति को अनुमोदित मासिक व्यय योजना (एमईपी)/त्रैमासिक व्यय योजना (क्यूईपी) के अनुरूप भी रखा जा रहा है ताकि आरई स्तर पर वित्त मंत्रालय द्वारा बजट आवंटन में किसी भी कमी से बचा जा सके। यह उल्लेख करना उचित होगा कि चालू वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान दूसरी तिमाही तक 100%क्यूईपी हासिल कर लिया गया है।"

1.18 विभिन्न योजनाओं की आउटपुट रिपोर्ट है और मापने योग्य परिणाम कितना रहा है तो मंत्रालय ने लिखित में बताया:

"हां, मंत्रालय नीति आयोग के आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (ओओएमएफ) की सलाह के आधार पर विभिन्न योजनाओं के मापन योग्य आउटपुट और परिणाम को संकलित करता है और इसे आयोग के नामित डैशबोर्ड पर अपलोड करता है। अद्यतन वर्ष 2020-21 के अनुसार, जिसके लिए पूरे वर्ष के लिए मापन योग्य परिणाम उपलब्ध हैं, आरजीएसए जैसी प्रमुख योजना का औसत दर्जे का परिणाम संतोषजनक है। पंचायती राज संस्थाओं के 9 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के लक्ष्य के विरूद्ध 33.34 लाख प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसी प्रकार 500 पंचायत भवनों के निर्माण एवं क्रियाशील बनाने के लक्ष्य की तुलना में851 पंचायत भवनों को पूर्ण कर कार्यशील बनाया गया। ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) को समर्पित पोर्टल में अपलोड करने के परिणाम संकेतक के लिए 2.45 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 2.56 लाख जीपीडीपी अपलोड किए गए।"

अध्याय-दो

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) का पुर्नगठित केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) को 2018-19 से लागू किया जा रहा है जिसका प्राथमिक उद्देश्य पीआरआई को सुदृढ़ करना है ताकि सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) को प्राप्त किया जा सके । इसका मुख्य जोर मिशन अंत्योदय के साथ ताल-मेल है तथा 117 आकांक्षी जिलों में पीआरआई को सुदृढ़ करने पर भी जोर है । सरकार द्वारा योजना को 24.04.2018 को राष्ट्रीय पंचायती दिवस (एनपीआरडी) में 01.04.2018 से 31.03.2022 के बीच लागू करने हेतु अनुमोदन किया गया था । इसका कुल बजट परिव्यय 7255.50 करोड़ रुपये है इसमें से राज्य का हिस्सा 2755.50 करोड़ रुपये और केन्द्र का हिस्सा 4500.00 करोड़ रुपये है । योजना समस्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू है। यह भाग नौ क्षेत्रों में 2.69 लाख ग्राम पंचायतों और गैर भाग नौ क्षेत्रों जहां पंचायत नहीं है के ग्रामीण स्थानीय सरकार के संस्थाओं में भी लागू है । राज्य घटक का हिस्सेदारी का स्वरूप 60:40 के अनुपात में है सिवाय पूर्वोत्तर, पर्वीत राज्यों और जम्मू-कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र जहां केन्द्र और राज्य की हिस्सेदारी का अनुपात 90:10 है । अन्य सभी संघ राज्य क्षेत्रों हेतु केन्द्रीय हिस्सा 100 प्रतिशत है । आरजीएसए के तहत निधियां सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर), पंचायतों के कार्यकर्ताओं और अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण हेतु मूलत: जारी किए जाते है। योजना के तहत निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के तहत अनुमोदित पंचायतों को सुदृढ करने संबंधी अन्य मान्य कार्यों के लिए भी दिए जाते हैं ।

2.2 योजना के केन्द्रीय और राज्य घटक है । केन्द्रीय घटक: (एक) राष्ट्रीय स्तर के कार्य, अर्थात राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (एनपीएमयू) की स्थापना सहित तकनीकी सहायता हेतु राष्ट्रीय योजना (एनपीटीए); पीआरआई हेतु क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (सीबीएंडटी) संबंधी विभिन्न कार्यों हेतु शैक्षणिक संस्थाओं/एनआईआरडीएंडपीआर, हैदराबाद सहित उत्कृष्ट संस्थाओं के साथ सहयोग (दो) ई-पंचायत संबंधी मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) ओर (तीन) पंचायतों को प्रोत्साहन, राज्य घटक का संबंध राज्य सरकारों द्वारा सीबीएंडटी कार्यों तथा पंचायतों को सुदृढ़ करने हेतु अन्य कार्य से है जैसे: क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, अवसंरचना और प्रशिक्षण हेतु एचआर सहायता, पेसा क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सुदृढ़ करना, एसएटीसीओएम द्वारा दूरस्थ

शिक्षा सुविधा, नवाचार हेतु सहायता, पीआरआई हेतु तकनीकी सहायता, वित्तीय आकड़ा और विश्लेषण प्रकोष्ठ, पंचायत भवन, पंचायतों को ई-सक्षम बनाना, आर्थिक विकास और आय में वृद्धि हेतु परियेाजना आधारित वित्तपोषण, आईईसी और पीएमयू ।

<u>आरजीएसए के उद्देश्य:</u>

*एसडीजी को पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की शासन क्षमताओं का विकास करना

*पंचायतों**,** ग्राम सभा की क्षमता और प्रभावशीलता बढ़ाना

*पंचायत में लोकतांत्रिक निर्णय लेने और जवाबदेही को सक्षम बनाना

*ज्ञान सृजन के लिए संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ बनाना

*पंचायत की शक्तियों और जिम्मेदारी के हस्तांतरण को बढ़ावा देना

2.3 सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ने साक्ष्य के दौरान समिति को पंचायत संख्यिकी के बारे बताया:

ग्राम पंचायतों की संख्या	:	2,55,751
ब्लॉक पंचायतों की संख्या	:	6,829
जिला पंचायतों की संख्या	:	659
पीआरआई के निर्वाचित सदस्यों की संख्या	:	31.लाख 47
निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या	:	14.54 लाख (46%)

2.4 निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता और उन्हें सशक्त बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया :

"पंचायतों को मजबूत करने के लिए आरजीएसए की योजना लागू की जा रही है, जिसका लक्ष्य निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआरएस), पंचायत पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों का क्षमता निर्माण है। ईआर की डिजिटल साक्षरता पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है और वार्ड सदस्यों या फील्ड संसाधन व्यक्तियों को पंचों में बदलने, उन्हें शिक्षित करने और परिवर्तन के एजेंटों में बदलने की स्पष्ट भूमिका के साथ। इस योजना के परिणामस्वरूप स्थानीय नियोजन, लोकतांत्रिक निर्णय लेने, पारदर्शिता और जवाबदेही के माध्यम से सुशासन और एसडीजी की उपलब्धि के लिए पंचायतों की क्षमता में वृद्धि होगी। 2018-19 से 2020-21 तक लगभग 1.10 करोड़ ईआर, पंचायत पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षित किया गया है। क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में, योजना ने ईआर के एक्सपोजर दौरों के लिए प्रावधान किया है। 2018-19 से 2020-21 के दौरान लगभग 37,845 ईआर ने एक्सपोजर का दौरा किया है।"

2.5 उन पंचायतों जिन्होंने सतत विकास लक्ष्य हासिल कर खुद को आत्मनिर्भर निकायों में बदल लिया है, की संख्या के ब्योरे के संबंध में पूछे जाने पर मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में यह बताया :-

" इस मंत्रालय को किसी विशिष्ट सतत विकास लक्ष्यों के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में नहीं बनाया गया है। तथापि, मंत्रालय निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और पंचायतों के अन्य हितधारकों के ग्रेजुवेटेड क्षमता निर्माण के माध्यम से एसडीजी की प्राप्ति की दिशा में प्रयासों को सुविधाजनक बना रहा है। "

2.6 यह पूछे जाने पर कि मंत्रालय भारत के माननीय प्रधान मंत्री और लक्ष्य प्राप्त करने की संभावित कार्य योजना द्वारा निर्धारित 31.03.2022 तक अंत्योदय योजना के साथ अभिसरण पर मुख्य जोर के साथ सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में पीआरआई को मजबूत करने के प्राथमिक उद्देश्य को प्राप्त करने की परिकल्पना कैसे करता है, तो मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में यह बताया :-

" आरजीएसए की योजना को वर्ष 2018-19 से सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को पूरा करने के लिए पीआरआई की शासन क्षमताओं को विकसित करने वास्ते पीआरआई को मजबूत करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ लागू किया जा रहा है। मंत्रालय पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को मजबूत करने और स्थानीय शासन के साथ-साथ आउटरीच/ पहुंच के समाधान खोजने के लिए कार्यक्रम संबंधी सहायता प्रदान करना जारी रखेगा, अर्थात्:

(i) आरजीएसए को देश के गरीब और पिछड़े क्षेत्रों में पंचायतों से संबंधित सभी हितधारकों के लिए ग्रैजुएटेड सीबीएंडटी के लिए एक परिष्कृत, अनुकूलित संसाधन के रूप में विकसित करना।

(ii) मिशन अंत्योदय ग्राम पंचायतों और नीति आयोग द्वारा चिन्हित 117 आकांक्षी जिलों पर प्राथमिकता के साथ पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए चरणबद्ध संतृप्ति दृष्टिकोण का पालन करते हुए पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता निर्माण।

(iii) नव निर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआरएस) को उनके चुनाव के 6 महीने के भीतर उन्मुखीकरण प्रशिक्षण, उसके बाद दो साल के भीतर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।

(iv) स्पष्ट भूमिका के साथ वार्ड सदस्यों या पंचों को संगठित करना, शिक्षित करना और क्षेत्रीय संसाधन व्यक्तियों में बदलना और इस प्रकार उन्हें परिवर्तन के एजेंटों में बदलने के लिए अधिक प्रभाव डालना।

(v) शिक्षाविदों/संकाय से पीआरआई के लिए गुणवत्ता प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने और मास्टर प्रशिक्षकों के पूल के विकास के लिए उत्कृष्टतापूर्ण संस्थानों/विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के साथ साझेदारी और नेटवर्किंग।

(vi) प्रशिक्षण के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के लिए सहायता

(vii) पीयर एक्सचेंज के माध्यम से सीखने को बढ़ावा देने और पीयर-लर्निंग साइटों के रूप में मॉडल पंचायतों के विकास के लिए पीआरआई के लिए एक्सपोजर दौरों को बढ़ावा देना।

(viii) पंचायती राज संस्थाओं और उनके हितधारकों की डिजिटल साक्षरता पर ध्यान देना

(ix) ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के निर्माण और उनके कार्यान्वयन के लिए संयुक्त प्रशिक्षण, आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से एसएचजी-पीआरआई अभिसरण।

(x) स्वयं के स्रोत राजस्व सृजन पर ध्यान देना।

(xi) इस तथ्य के बावजूद कि पंचायती राज मंत्रालय को किसी विशिष्ट एसडीजी के लिए एक नोडल मंत्रालय के रूप में मैप नहीं किया गया है, यह पंचायतों के माध्यम से एसडीजी की प्राप्ति की दिशा में प्रयासों को सुविधाजनक बना रहा है। एसडीजी के स्थानीयकरण में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है। एसडीजी के तहत उपलब्धियों की निगरानी के लिए स्थानीय संकेतक फ्रेमवर्क को राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क के अनुरूप विकसित किया गया है। एसडीजी की उपलब्धियों के लिए नोडल केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के साथ परामर्श शुरू कर दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समुदायों को लाभ पहुंचाने के लिए स्थानीय स्तर पर विकास एजेंडा को प्रभावी ढंग से ठोस कार्रवाई और ठोस परिणामों में परिवर्तित किया जा सके।"

2.7 जब यह पूछा गया कि पुनर्गठित तुलना में वर्ष आरजीएसए के लिए बजट अनुमान आवंटन को वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 में वर्ष 2020-21 में 790.53 रुपये से घटाकर 593.00 करोड़ रुपये क्यों किया गया है, तो मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में यह बताया :-

" मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 (बीई) के लिए आरजीएसए के तहत 894.03 करोड़ रुपये के आवंटन की मांग की। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने आरजीएसए की योजना के तहत 593 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की। आरजीएसए की योजना को दिनांक 01-04-2018 से

31.03.2022 तक कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया था और दिनांक 31 मार्च, 2022 के बाद योजना के तहत कोई भी आवंटन योजना जारी रखने के अधीन है। इसलिए, सरकार द्वारा बीई वर्ष 2022-23 के लिए 593 करोड़ रुपये का सैद्धान्तिक आवंटन वर्ष 2021-22 के बीई के समान अनुमोदन के अधीन किया गया है और योजना के आवंटन में कोई भी परिवर्तन अनुमोदन के आधार पर होगा।"

2.8 जब यह पूछा गया कि पिछले वित्तीय वर्ष में बीई 593.00 करोड़ रुपये और आरई को 618.00 करोड़ रुपये करना पड़ा था। इस पृष्ठभूमि में मांगा गया 593.00 करोड़ रुपये का आवंटन क्या पुनर्गठित योजना के तहत होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा, तो मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में यह बताया:-

" आरजीएसए की योजना को दिनांक 01-04-2018 से दिनांक 31.03.2022 तक लागू करने के लिए अनुमोदित किया गया था और दिनांक 31 मार्च, 2022 के बाद योजना के तहत कोई भी आवंटन जारी रखना योजना के अनुमोदन के अधीन है। इसलिए, सरकार द्वारा बीई वर्ष 2022-23 के लिए 593 करोड़ रुपये का सैद्धान्तिक आवंटन वर्ष 2021-22 के बीई के समान, अनुमोदन के अधीन किया गया है और योजना के आवंटन में कोई भी परिवर्तन अनुमोदन का आधार पर होगा। संशोधित आरजीएसए को जारी रखने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक दिनांक 18.01.2022 को आयोजित की गई थी।"

2.9 जब यह पूछा गया कि 28. मंत्रालय आरजीएसए (दिनांक 05.01.2022 तक) के तहत वर्ष 2021-22 में संशोधित अनुमान स्तर पर 618.00 करोड़ रुपये के आवंटन में से 518.10 करोड़ रुपये खर्च करने में सक्षम रहा है। मंत्रालय शेष अवधि में शेष राशि का उपयोग करने की योजना कैसे बनाता है, तो मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में यह बताया :-

"वर्ष 2021-22 के दौरान, दिनांक 31.01.2022 तक 518.07 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और शेष 99.90 करोड़ रुपये पूर्वोत्तर राज्यों सहित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए जाएंगे, जिनसे अपेक्षित मांग/दस्तावेज अपेक्षित हैं।"

वर्ष 2019-20 और 2020-21 और वर्ष 2021-22 के दौरान अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना (एएपी) और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की गई धनराशि की स्थिति निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रूपए में)

क्र. सं	**राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश**	**2019-20**		**2020-21**		**2021-22**	
		स्वीकृत एएपी	**जारी निधि**	**स्वीकृत एएपी**	**जारी निधि**	**स्वीकृत एएपी**	**जारी निधि**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1.69	0.00	1.25	0.00	2.26	0.00
2	आंध्र प्रदेश	183.84	0.00	203.49	22.34	497.13	38.54
3	अरुणाचल प्रदेश	46.58	39.59	15.65	0.00	140.38	12.66
4	असम	76.02	23.22	98.31	26.12	132.97	14.12
5	बिहार	76.24	0.00	105.71	0.00	268.90	63.77
6	छत्तीसगढ़	37.29	0.00	36.57	4.04	64.87	7.93
7	दादर एवं नगर हवेली	2.90	0.00	4.55	0.00	6.94	0.00
8	दमन एवं दीव	0.89	0.00				
9	गोवा	3.71	0.00	3.72	0.00	5.50	0.59
10	गुजरात	55.09	0.00	20.24	0.00	55.07	0.00
11	हरियाणा	136.48	0.00	188.53	9.89	241.09	0.00
12	हिमाचल प्रदेश	127.95	10.00	128.18	22.10	164.43	32.42
13	जम्मू एवं कश्मीर	197.21	6.19	173.48	25.00	281.10	40.00
14	झारखंड	34.62	0.00	28.66	2.34	90.35	0.00
15	कर्नाटक	71.03	0.00	116.70	0.44	195.11	29.15
16	केरल	52.81	0.00	44.34	8.13	52.86	6.72
17	लद्दाख	-	-	8.59	2.15	8.60	0.00
18	लक्षद्वीप	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
19	मध्य प्रदेश	229.84	85.48	320.81	71.42	355.89	47.11

क्र. सं	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	2019-20		2020-21		2021-22	
		स्वीकृत एएपी	जारी निधि	स्वीकृत एएपी	जारी निधि	स्वीकृत एएपी	जारी निधि
20	महाराष्ट्र	119.71	8.44	233.00	66.76	222.80	38.71
21	मणिपुर	15.51	4.54	7.70	3.41	13.25	2.98
22	मेघालय	15.02	2.63	19.76	3.97	37.00	0.00
23	मिजोरम	9.88	0.50	29.64	21.19	35.69	5.56
24	नागालैंड	10.14	3.94	14.80	3.72	27.77	4.58
25	उड़ीसा	28.55	0.00	21.49	2.94	30.00	1.33
26	पुदुचेरी	4.01	0.00	4.67	0.00	11.57	0.00
27	पंजाब	91.12	0.00	89.88	13.45	71.91	10.78
28	राजस्थान	83.31	0.00	103.04	12.98	144.52	17.27
29	सिक्किम	11.80	5.10	15.79	4.75	16.83	0.00
30	तमिलनाडु	190.37	5.30	282.78	56.88	307.37	39.89
31	तेलंगाना	279.52	0.00	242.87	12.00	272.34	0.00
32	त्रिपुरा	16.51	0.00	15.79	2.53	30.26	4.67
33	उत्तर प्रदेश	842.45	169.92	598.55	32.54	565.50	83.08
34	उत्तराखंड	62.80	23.79	42.68	26.75	23.07	0.00
35	पश्चिम बंगाल	98.24	44.10	115.53	33.52	106.90	15.14
	उप योग	**3213.13**	**432.74**	**3337.87**	**491.34**	**4480.22**	**516.99**
	अन्य कार्यान्वयन एजेंसी		**0.16**		**8.59**		**1.07**
	कुल		**432.90**		**499.93**		**518.06**

2.10 जब यह पूछा गया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या के लिए निधियां जारी न करने और कम होने और संघ राज्य क्षेत्रों में जारी नहीं होने के क्या कारण हैं, तो मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में यह बताया :-

"आरजीएसए की योजना प्रकृति में मांग प्रेरित है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वार्षिक कार्य योजना को समय पर

प्रस्तुत करने, अव्ययित शेष का लिक्विडेशन, अपेक्षित दस्तावेज जमा करने आदि पर निर्भर रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करने और जारी न करने का मुख्य कारण उपयोगिता प्रमाणपत्र, लेखापरीक्षित विवरण, राज्य के हिस्से को जारी न करना और/या रिलीज करने योग्य से अधिक राशि और सीएसएस के तहत निधियों को जारी करने को विनियमित करने वाले वित्त मंत्रालय के निर्देशों का अनुपालन न करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अव्ययित शेष की उपलब्धता सहित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करना है।"

2.11 जब यह पूछा गया कि पिछले तीन वर्षों से लगातार वार्षिक कार्य योजना द्वारा अनुमोदित योजनाओं के मुक़ाबले अखिल भारतीय रिलीज के आंकड़ों में तेज गिरावट के क्या कारण हैं, तो मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में यह बताया :-

" आरजीएसए की योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें निर्धारित केंद्रीय और राज्य शेयर फंडिंग संरचना/ ढांचा है। राज्यों की वार्षिक कार्य योजना (एएपी) को राज्य अधिकार प्राप्त समिति (एसईसी) की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) द्वारा अनुमोदित किया जाता है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के मुक़ाबले केंद्रीय शेयर जारी करने के लिए, यह योजना (i) संबंधित राज्य के हिस्से को जारी करने; (ii) पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित विवरण प्रस्तुत करने के साथ-साथ केंद्र और राज्य के शेयरों की रिलीज का 60 प्रतिशत उपयोग करने को अधिदेशित करती है। राज्यों को जारी धनराशि योजना प्रावधान के अनुसार दो किस्तों में किया जाता है (वर्ष 2021-22 के दौरान, वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार चार चरणों में रिलीज की गई है)। यह देखा गया है कि बड़ी संख्या में मामलों में राज्यों द्वारा राज्य के हिस्से को जारी करने में देरी होती है और/या राज्य के हिस्से में लगातार कमी होती है। विलम्ब से जारी करने से निधियों के समय पर उपयोग में देरी होती है और इसके परिणामस्वरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने/प्रस्तुत न करने में देरी होती है। यह भी देखा गया है कि कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास पिछले वर्षों की आवंटित राशि का अव्ययित शेष है। इसके अलावा कुछ राज्यों ने भी सीएसएस के तहत निधि जारी करने को

विनियमित करने वाले वित्त मंत्रालय के निर्देशों का पालन नहीं किया है। इन सभी के कारण राज्यों को केंद्रीय हिस्से की रिलीज/ निर्मुक्ति कम हो गई है।"

2.12 पंचायती राज मंत्रालय के सचिव ने साक्ष्य के दौरान समिति को बताया कि उन्होने आरजीएसए को एक केंद्रीय योजना बनाने हेतु वित्त मन्त्रालय से अनुरोध किया था | तथापि वित्त मन्त्रालय ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया है:-

"हम लोग इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोगों ने वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया था कि इसे सेंट्रल सैक्टर स्कीम बना दें। इसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा की सेंट्रली स्पांसर्ड स्कीम में ही 60-40 के फार्मूले पर चलेगा ।अगर उसे मना कर दिया। सेंट्रल सैक्टर स्कीम में होता कि पूरी की पूरी धनराशि भारत सरकार रिलीज करती और उसके बाद उसमें स्टेट शेयर रिलीज नहीं होने या विलम्ब होने की सम्भावना घट जाती।".

2.13 यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय 868.38 करोड़ रुपये के बजट अनुमान के साथ विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ न्याय कर पाएगा और मंत्रालय विभिन्न मदों के तहत समग्र रूप से उपयोग बढ़ाने की योजना कैसे बना रहा है, तो मन्त्रालय ने यह उत्तर दिया:-

योजना के अंतर्गत आवंटित निधियों के समुचित उपयोग के लिए रोडमैप निम्नलिखित है:

- आरजीएसए की पुनर्निमाण योजना के अनुमोदन के बाद वर्ष2022-23 के लिए एएपी का समय पर अनुमोदन ताकि अनुमोदित गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को पर्याप्त समय प्रदान किया जा सके।
- एएपी के गठन के लिए चेकलिस्ट को साझा करना और राज्यों को सहायता प्रदान करना
- प्रगति की निगरानी और अनुमोदित गतिविधियों में तेजी लाने के लिए वर्चुअल कॉन्फ्रेंस और टेलीफोन कॉलों के माध्यम से राज्यों के साथ नियमित बातचीत । जब भी अपेक्षित हो आवश्यक सलाह/स्पष्टीकरण जारी की जाती है।
- क्षेत्र/ राज्य-विशिष्ट वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को भी शामिल/ शुरू किया जा रहा है।
- एमआईएस के माध्यम से अनुमोदित गतिविधियों की प्रगति की निरंतर निगरानी।

- कार्यकारी एजेंसी के अंतिम स्तर तक पीएफएमएस के माध्यम से निधियों को अनिवार्य रूप से जारी करना ।पीएफएमएस के साथ आरजीएसए एमआईएस का एकीकरण।
- योजना के तहत पंचायती राज संस्थाओं के प्रशिक्षण के लिए नए कार्य।जहाँ तक संभव हो
- दूरस्थ शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए बदले हुए परिदृश्य में रणनीति को साकार करना।
- अपने मिलान शेयर के अनुसार राज्यों के साथ प्रभावी ढंग सेबात करना, अव्ययित शेष को लिक्विडेट करना और आवश्यक दस्तावेज जैसे अधिकतम सीमा तक धनराशि जारी करने के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र आदि जमा करना।

  उपरोक्त बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से, यह उम्मीद की जाती है कि आवंटित निधि का पूरी तरह से उपयोग किया जाएगा।

2.14 यह पूछे जाने पर कि सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों के निर्माण में आरजीएसए का एक महत्वपूर्ण घटक होने के बावजूद अभी भी 66698 ग्राम पंचायत भवन विहीन हैं। राज्य स्वीकृत योजनाओं के बाद भी ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं और राशि अभी तक जारी नहीं हुई है। इसका क्या कारण है, तो मंत्रालय ने इसके निम्नलिखित कारण बताए:-

> "पंचायत राज्य का विषय है और ग्राम पंचायतों (GPs) के लिए पंचायत भवन उपलब्ध कराना मुख्य रूप से राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश (UT) की जिम्मेदारी है। राज्यों से विभिन्न स्रोतों जैसे मनरेगा और अन्य संबंधित योजनाओं से ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण के लिए धन जुटाने की उम्मीद की जाती है। हालांकि, पंचायती राज मंत्रालय सीमित पैमाने पर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की अपनी स्कीम के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को पूरा करता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 271179 ग्राम पंचायतों/पारंपरिक निकायों में से 220262 ग्राम पंचायतों/पारंपरिक निकायों के पास अपने स्वयं के ग्राम पंचायत भवन हैं और लगभग 50917 ग्राम पंचायतें/पारंपरिक निकाय ग्राम पंचायत भवन के बिना हैं।"

2.15 जनसंख्या,गाँवों के बीच दूरी और धरातल पर सड़कों की संयोजकता के आधार पर पंचायतों की संख्या के युक्तिकरण के बारे में पूछे जाने पर पंचायती राज मन्त्रालय ने साक्ष्य के दौरान यह बताया:-

> "सर, यहाँ पर हमारा निवेदन है कि यह काम हम लोगनहीं कर सकते हैं। सर, हम गाइडलाइन भी नहीं दे सकते हैं। हमलोग उनसे केवल यह कह सकते हैं किअगर आपको इनको प्रशासनिक एवं वितीय रूप से सक्षम बनाना है तो अलग-अलग समितियों का यहअनुभव है, दूसरे राज्यों का यह अनुभव है। अगर वहाँ पर आबादी 10 हजार है तो उनको एक करोड़ रुपये से ज्यादा डेवोल्यूशन का फंड मिलता है, जिससे वे काम कर सकते हैं। हमारा यह कहना है कि ज्यादा पैसे मिलेंगे तो वहाँ पर ज्यादा विकास के काम होंगे और अच्छे ढंग से काम होंगे। लेकिन, ग्राउण्ड लेवल पर क्या काम होता है, वहाँ ग्रामों का जो ग्रुप है, उसमें ऐसा होता है कि ज्यादा आबादी होने की वजह से पैसा भी ज्यादा मिलता है। लेकिन, उन तीन गाँवों में से जिस गांव का सरपंच होता है, वह सभी काम एक ही गाँव में करता है और दूसरे दो गाँव में देखता भी नहीं है। इन दोनों के बारे में भी हमें सोचने की जरुरत है।"

2.16 जब यह पूछा गया कि आरजीएसए के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले हितधारकों की संख्या वर्ष 2018-19 से क्यों कम हो रही है, तो मन्त्रालय ने निम्नलिखित कारण बताए;-

> " राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की योजना का उद्देश्य सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायतों की क्षमता को बढ़ाना है ताकि उन्हें जमीनी स्तर पर सुशासन के लिए तैयार किया जा सके और जन भागीदारी, सेवाओं की कुशल डिलीवरी, पारदर्शिता और समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके। यह योजना पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआरएस) को उनके चुनाव के 6 महीने के भीतर उन्मुखीकरण प्रशिक्षण प्रदान करती है, इसके बाद दो साल के भीतर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रदान करती है। कोविड महामारी के संदर्भ में, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबीएंडटी) के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण अपनाने और क्षमता निर्माण के प्रयासों को पटरी से नहीं उतारने के लिए ऑनलाइन हस्तक्षेप पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया गया है। 2018-19 के दौरान, 4304651 निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआरएस), पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों ने आरजीएसए के तहत

विभिन्न और कई प्रशिक्षण प्राप्त किए, जो कि 2019-20 में घटकर 3398194 हो गया, क्योंकि आरजीएसए के 762.34 करोड़ रुपये के बजट अनुमान को आरई चरण में 432.96 करोड़ रुपये कर दिया गया था। इसके अलावा, 2020-21 के दौरान कोविड-19 के कारण, प्रशिक्षण 3328472 तक कम हो गया। हालाँकि, राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा 2021-22 के दौरान 21.02.2022 तक प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, 2575636 ईआर, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों ने आरजीएसएके तहत विभिन्न और कई प्रशिक्षण प्राप्त किए। चौथी तिमाही की तिमाही प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर), जो 31.03.2022 को देय होगी, वर्ष 2021-22 के दौरान वास्तविक उपलब्धियों को दर्शाएगी।"

2.17 पंचायतीराज मंत्रालय के समक्ष चुनौतियों और बाधाओं, धन की आवश्यकता और उपलब्ध बुनियादी ढांचे, इसके संवर्धन की आवश्यकता के संबंध में मंत्रालय ने यह उत्तर दिया:-

"यह माना जाता है कि आरजीएसए की योजना केतहत, पंचायतों के विभिन्नहितधारकों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबी एंड टी) एक जटिल कार्य हैऔर इसमें कई हितधारकों जैसे ईआर, पंचायत अधिकारियों, पंचायत सचिवों, लेखाकारों, वाटर पंप संचालक आदि, विभागीय अधिकारी जो पंचायतों, ग्राम सभा या नागरिकों के साथ काम करते हैं, साथ ही ऐसे लोग जो पंचायतों को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करते हैं जैसेकि जनप्रतिनिधि, विशेषज्ञ और मीडियाकर्मियों सहित कई हितधारकों को शामिल किया गया है। उच्चगुणवत्ता, संदर्भ विशिष्ट सीबी एंड टी सुनिश्चित करते हुए इस विविध समूहतक पहुंचने की चुनौती है, जो अनिवार्य रूप से राज्यों द्वारा अपनेसंस्थानों में लागू किए जाते हैं।इसकार्य में विभिन्न क्षेत्रों (कृषि, बागवानी, वानिकी, कौशल विकास, इंजीनियरिंग आदि) के लिए राज्य संस्थानों के बीच संस्थागत जुड़ाव शामिल है, जो विभिन्न क्षेत्रों के सक्षमकर्ता के रूप में वार्ड सदस्यों को प्रशिक्षणदेने के पंचायती राज मंत्रालय के दृष्टिकोण को साकार करता है, जिससे यह और अधिक चुनौतीपूर्णहो जाता है।इसकेअलावा, पंचायतों को अपने कार्यालयों के लिए भवन, मानव संसाधन सहायता, ई-सक्षमता उपकरण आदि की कमी का भी सामना करना पड़ता है। योजना के तहत उपलब्धधन के साथ आरजीएसए की चल रही योजना के माध्यम से इन मुद्दों को हल करने का प्रयास किया जा रहा है।"

अध्याय-3
पंचायतों को प्रोत्साहन देना

पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) पंचायतों को प्रोत्साहनीकरण योजना (पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान स्कीम के केंद्रीय घटकों में से एक) के तहत विकसित मूल्यांकन मानदंड/पैरामीटर के आधार पर वर्ष 2011 से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार के लिए उनके अच्छे कार्योंहेतु प्रोत्साहित कर रहा है। पंचायतों को प्रोत्साहनीकरण एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है और पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। यह प्रोत्साहनीकरण पुरस्कार विजेताओं को प्रोत्साहित करता है जो विशेष प्रयास करते हैं, दूसरों के अनुसरण के लिए मॉडल तैयार करते हैं, और स्थानीय स्तर पर समग्र सुशासन के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वाली पंचायतों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी पुरस्कार राशि/प्रोत्साहन का उपयोग सार्वजनिक उद्देश्यों विशेष रूप से आजीविका सहायता, संपत्ति सृजन, नागरिक सुविधाओं के निर्माण और रखरखाव के लिए और विभिन्न परियोजनाओं के लिए केंद्र/राज्य सरकारों से प्राप्त निधियों की कमी को दूर करने के लिए किया जाना है।

3.2 पंचायतों को प्रोत्साहनीकरण, पुनर्गठित आरजीएसए योजना के केंद्रीय घटकों में से एक, केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से (100%) वित्त पोषित है। इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक भावना को प्रोत्साहित करना है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों (जिला, मध्यवर्ती और ग्राम) और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार के लिए उनके अच्छे काम की पहचान के लिए वित्तीय प्रोत्साहन सहित पुरस्कार दिए जाते हैं।

3.3 पंचायतों को प्रोत्साहन स्कीम दिनांक 01.04.2018 को शुरू की गई पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) स्कीम के केंद्रीय घटकों में से एक बन गई है और इसे 31.03.2022 तक लागू किया जाना है, जैसा कि इसे आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। पुरस्कार निम्नलिखित श्रेणियों के तहत दिए जाते हैं:

(क) नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार (एनडीआरजीजीएसपी):
(ख) दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार (डीडीयूपीएसपी)-
(ग) बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार (सीएफजीपीए):
(घ) ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार (जीपीडीपीए):
(ड.) ई-पंचायत पुरस्कार

3.4 पंचायती राज मंत्रालय ने समिति को इस प्रकार सूचित किया:-

"पंचायतों को प्रोत्साहनीकरणयोजना के तहत, वर्ष 2020 और 2021 के दौरान क्रमशः पंचायतों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 306 और 313 पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रदान किए गए पुरस्कारों की संख्या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त नामांकनों की संख्या और मंत्रालय द्वारा अंतिम चयन पर आधारित होती है।"

3.5 यह पूछे जाने पर कि इस वर्ष देश में पंचायतों के प्रोत्साहनीकरण योजना के तहत पुरस्कार प्रदान करने के लिए कितनी पंचायतों की पहचान की गई है और क्या बजट अनुमान 2022-23 के तहत आवंटन मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा तो मन्त्रालय ने यह उत्तर दिया:-

"नामांकन मंगाने और पुरस्कार विजेताओं के चयन की प्रक्रिया साल भर चलने वाली गतिविधि है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2022 के लिए, वित्तीय वर्ष 2021-2022 में ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन मंगाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। आगामी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2022 के लिए, पंचायतों (ग्राम पंचायत-50070, ब्लॉक पंचायत-1538 और जिला पंचायत-309) से ऑनलाइन पोर्टल में 51,917 आवेदन प्राप्त हुए हैं। विभिन्न स्तरों पर 51,917 पंचायतों में से राज्यों से लगभग 900 से 1000 नामांकन के आधार पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार-2022 के लिए लगभग 300 पंचायतों की पहचान किए जाने की उम्मीद है।"

3.6 यह पूछे जाने पर कि विभिन्न श्रेणी के पुरस्कारों के लिए प्रोत्साहनीकरण के तहत चयन के लिए निर्धारित मापदंडों की तुलना में कौन से राज्य सबसे कम प्रदर्शन करते पाए गए हैं और उन राज्यों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, तो मन्त्रालय ने यह उत्तर दिया:-

" वार्षिक राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रतियोगिता में पंचायतों के विभिन्न स्तरों की भागीदारी के स्तर को ध्यान में रखते हुए, संबंधित राज्यों में पंचायतों की संख्या की तुलना में, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान राज्य पिछड़ रहे हैं। उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए इस तरह के सुधारात्मक उपाय करने के लिए योजना के तहत कोई घटक नहीं है। हालांकि, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना के तहत सामाजिक-आर्थिक विकास और ग्रामीण लोगों के कल्याण और सेवाओं के वितरण में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उनकी शासन क्षमता का निर्माण करने पर जोर दिया गया है।"

3.7 पंचायत प्रोत्साहनीकरण योजना के कार्य निष्पादन की निगरानी और नियंत्रण प्रणाली के विषय में पूछे जाने पर मंत्रालय ने उत्तर दिया कि

"पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण" स्कीम का उद्देश्य उन पंचायतों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उचित मान्यता देना है जो अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाते हैं। इस योजना में एक अंतर्निर्मित निगरानी तंत्र है जो विभिन्न स्तरों पर संचालित होता है। पंचायतों की जवाबदेही प्रणाली और पारदर्शी कामकाज को मापने के लिए विभिन्न मानदंडों / संकेतकों का उपयोग करके पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पुरस्कारों के लिए विस्तृत प्रश्नावली विकसित की गई है। पुरस्कारों के लिए पंचायतों का नामांकन विभिन्न स्तरों जैसे ब्लॉक स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति, राज्य पंचायत प्रदर्शन मूल्यांकन समिति और राज्य क्षेत्र सत्यापन टीमों पर विस्तृत अंकन योजना के आधार पर पंचायतों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का मूल्यांकन करके किया जाता है। समग्र प्रक्रिया में टर्नअराउंड समय को कम करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से नामांकन ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। मनोनीत पंचायतों का फील्ड सत्यापन भी पंचायती राज मंत्रालय के अधिकारियों की टीम द्वारा किया जाता है और टीम को सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले नामांकन का यथार्थवादी/उद्देश्य और प्रभावी सत्यापन सुनिश्चित करना है। पंचायती राज मंत्रालय में गठित पंचायत पुरस्कारों के लिए एक राष्ट्रीय जांच समिति पुरस्कारों के लिए पंचायतों का अंतिम चयन करती है।

3.8 यह पूछे जाने पर कि प्रोत्साहनीकरण योजना के कार्यान्वयन में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाएजाने का प्रस्ताव है और यदि कोई सुझाव दिए गए हैं तो क्या सुझाव दिए गए हैं,तो मंत्रालय ने यह उत्तर दिया :-

''सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाली पंचायतों के चयन और समग्र रूप से योजना के मानदंडों में सुधार और परिशोधन समय-समय पर अपनाया गया एक सतत नीतिगत हस्तक्षेप है। मंत्रालय सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों के चयन के लिए पुरस्कारों और मूल्यांकन/मानदंडों को युक्तिसंगत बनाने के लिए सचेत प्रयास कर रहा है। इस अवधि के दौरान, पंचायत प्रोत्साहनीकरण योजना के तहत निम्नलिखित सुधार / परिशोधन किए गए हैं:

• डीडीयूएसपी की पुरस्कार श्रेणी के तहत नौ विषयों को ग्राम पंचायतों के लिए पेश किया गया था

• वर्ष 2018 व2019 के दौरान क्रमशः ग्राम पंचायतों के लिए दो नए पुरस्कारनामत: ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार (मंत्रालय/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के दिशा-निर्देशों के अनुसार जीपीडीपी विकसित करने के लिए) और बाल-सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार (बाल-सुलभ प्रथाओं को अपनाने के लिए) शुरू किए गए थे।

• पुरस्कार वर्ष 2020 के दौरानग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार की श्रेणी के तहत पुरस्कार राशि देश भर में 3लाख रुपये से बढ़ाकर प्रत्येक राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में प्रत्येक पुरस्कार विजेता के लिए 5लाख रुपये की पुरस्कार राशि की गई है।

• पुरस्कार वर्ष 2021 के दौरान मंत्रालय द्वारा पुरस्कार राशि को सीधे पुरस्कार प्राप्तकर्ता पंचायतों को हस्तांतरित करके सबसे बड़ा सुधार किया गया। पुरस्कार राशि पुरस्कार प्राप्तकर्ता पंचायतों के लिए एक प्रोत्साहन अनुदान है, जो सार्वजनिक संवैधानिक संस्थाएं हैं, न कि किसी व्यक्ति के लिए। सबसे बड़ा सुधार मंत्रालय द्वारा पुरस्कार राशि को सीधे पुरस्कार विजेता पंचायतों को हस्तांतरित करके किया गया था, जो कि पुरस्कार प्राप्त करने वाली पंचायतों के लिए है, जो सार्वजनिक संवैधानिक संस्थाएं हैं, न कि किसी व्यक्ति के लिए।

अध्याय चार
ग्राम पंचायतों का डिजिटलीकरण

ई-पंचायत भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) में से एक है, जिसे वर्तमान में ग्रामीण भारत को सशक्त और बदलने के दृष्टिकोण के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। ई-गवर्नेंस परियोजना का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को आधुनिकता, पारदर्शिता और दक्षता के प्रतीकों में बदलना है। यह पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) द्वारा शुरू की गई एक ऐसी राष्ट्रव्यापी आईटी पहल है जो कार्यक्रम के संबंध में निर्णय लेने, इसका कार्यान्वयन करने और सेवा प्रदान करने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। इस परियोजना का उद्देश्य लगभग 2.55 लाख पंचायतों के कार्यकरण को स्वचालित बनाना है। ई-पंचायत एमएमपी के अंतर्गत विकसित ई-ग्राम स्वराज और अन्य अनुप्रयोगों ने पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी ढंग से और कुशलतापूर्वक कार्य करने में काफी मदद की है। ये आवेदन पंचायत कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं जैसे आयोजना, बजटीकरण, कार्यान्वयन, लेखांकन, निगरानी, सामाजिक लेखापरीक्षा और नागरिक सेवाओं की सुपुर्दगी जैसे प्रमाण-पत्र, लाइसेंस आदि जारी करने को पूरा करते हैं।

4.2 ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना भी पुनर्गठित आरजीएसए का एक केंद्रीय घटक है और केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से (100%) वित्त पोषित है। ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना के तहत निधियां केवल राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक. (एनआईसीएसआई) को ई-ग्रामस्वराज और अन्य अनुप्रयोगों के रखरखाव और प्रशिक्षण, संकाय सहायता और कार्यक्रम प्रबंधन के लिए केंद्रीय स्तर की सहायता के लिए जारी की जाती हैं। ई-पंचायत अनुप्रयोगों पर क्षेत्रीय कार्यशालाओं के लिए एनआईआरडी एंड पीआर और एसआईआरडी को भी धनराशि जारी की जाती है। वर्ष 2018-19 से, ई-पंचायत प्रमुख योजना - राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत एक घटक है।

4.3 ई-पंचायत पर मिशन मोड परियोजनाओं के तहत 2018-19, 2019-20 और 2020-21 और बीई) 2021-22) के दौरान बीई, आरई और वास्तविक व्यय निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक
2018-19	20.00	11.91	10.07
2019-20	15.50	7.50	7.25

2020-21	20.00	17.82	17.79
2021-22	20.00	11.71	11.22 (05.01.2022 तक)

4.4 ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने और बदलाव के लिए डिजिटल पंचायतों की शुरुआत करने की दृष्टि से, ई-ग्राम स्वराज (https://egramswaraj.gov.in/), राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल, 2020 को पंचायतों में किए गए कार्यों की प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक एकीकृत उपकरण का शुभारंभ किया गया था। यह एप्लिकेशन पंचायत की गतिविधियों की रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग में सुधार करता है, जिससे पंचायत की जानकारी प्राप्त करने के लिए एकल इंटरफ़ेस प्रदान किया जाता है। यह एप्लिकेशन पंचायत कामकाज (निगरानी, संपत्ति प्रबंधन) के विभिन्न अन्य पहलुओं सहित सभी नियोजन और लेखा आवश्यकताओं के लिए एक एकल मंच प्रदान करता है। इसके अलावा, ई-ग्राम स्वराज पीएफएमएस इंटीग्रेशन (ईजीएसपीआई) ई-ग्राम स्वराज, पीएफएमएस और कोर बैंकिंग सिस्टम (सीबीएस) के बीच डेटा शेयरिंग को सक्षम करके प्राप्त किया गया था। इसके अलावा, मंत्रालय ने राज्य के कोषागारों और ईजीएसपीआई के साथ रिवर्स इंटीग्रेशन की परिकल्पना की है, जहां संबंधित राज्य कोषागारों और ई-ग्रामस्वराज पीएफएमएस इंटरफेस के बीच एकीकरण किया गया था। इसने रसीद वाउचर को मैन्युअल रूप से एप्लिकेशन में बुक करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है जो एक त्रुटि प्रवण प्रक्रिया थी। इस कार्य ने 15वें वित्त आयोग अनुदान के तहत पंचायतों द्वारा किए जा रहे लेखांकन के एन्ड टू एन्ड का स्वचालन सुनिश्चित किया है। पंचायती राज मंत्रालय की वर्तमान पहल ईजीएसपीआई और सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) एप्लिकेशन को एकीकृत करना है। यह केवल 15वें वित्त आयोग फंड के लिए ईजीएसपीआई का उपयोग करने वाली पंचायतों द्वारा जीईएम पैनलबद्ध विक्रेताओं के माध्यम से वस्तुओं की खरीद और सेवाओं को सक्षम करेगा।

4.5 यह पूछे जाने पर कि पीईएस के तहत इन सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों ने ग्राम पंचायतों के कामकाज में कैसे सहायता की है, मंत्रालय ने बताया कि:

> "डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत पंचायती राज मंत्रालय पंचायतों के कामकाज में सुधार लाने और उन्हें अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के लिए देश में ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना लागू कर रहा है। मंत्रालय ने पंचायत के कामकाज के विभिन्न पहलुओं, जैसे योजना, लेखा, बजट का समाधान करने के लिए एक सरलीकृत कार्य-आधारित लेखा अनुप्रयोग ई-ग्राम स्वराज लॉन्च किया। इसके

अलावा, मंत्रालय ने विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर भुगतान करने के लिए ग्राम पंचायतों के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के साथ ई-ग्राम स्वराज को भी एकीकृत किया है। वर्तमान में 2,61,173 पंचायती राज संस्थाओं (जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत सहित) ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पंचायत विकास योजनाएँ तैयार की हैं। इसके अलावा, 2,19,594 ग्राम पंचायतों ने 15वें वित्त आयोग के लिए ई-ग्राम स्वराज-सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली इंटरफेस शुरू किया है और 1,81,677 ग्राम पंचायतों ने ऑनलाइन लेन-देन किया है।"

4.6 यह पूछे जाने पर कि निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायती राज पदाधिकारियों के लिए पीईएस आवेदन के बारे में जानकारी देने के लिए कितने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, मंत्रालय ने उत्तर दिया कि:

"मंत्रालय ने वर्ष 2019-20 में 13 प्रशिक्षण, वर्ष 2020-21 में 56 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम और वर्ष 2021-22 में 17 प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य स्तर के प्रशिक्षकों को ई-पंचायत एमएमपी/ई-ग्रामस्वराज के तहत विभिन्न अनुप्रयोगों पर सहायता प्रदान करने के लिए आयोजित किए हैं।"

4.7 इन सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों की कार्यप्रणाली के मूल्यांकन के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए अध्ययन और तत्संबंधी परिणाम के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने समिति को बताया कि:

"मंत्रालय ने "ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन और राज्य विशिष्ट आईसीटी पहल" पर एक अध्ययन किया है।

उपर्युक्त अध्ययन की सिफारिशों के परिणाम के रूप में मंत्रालय ने ई-ग्राम स्वराज (https://egramswaraj.gov.in/) विकसित किया है जो ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल पंचायतों की शुरुआत करने की दृष्टि से पंचायतों में किए गए कार्यों की प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक एकीकृत एप्लीकेशन है। एप्लिकेशन को ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) में वर्तमान में उपलब्ध एप्लिकेशन की कार्यक्षमता को मिलाकर विकसित किया गया है। यह स्थानीय सरकार निर्देशिका (एलजीडी) के साथ एरिया प्रोफाइलर

एप्लिकेशन के साथ प्लानप्लस, एक्शनसॉफ्ट, प्रियासॉफ्ट और नेशनल एसेट डायरेक्टरी (एनएडी) से युक्त ई-एफएमएस अनुप्रयोगों को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ इस तरह की मजबूत प्रणाली के लिए आधार बनाता है।

एप्लिकेशन पंचायत की गतिविधियों की रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग में सुधार करता है और पंचायत की जानकारी प्राप्त करने के लिए एकल इंटरफ़ेस प्रदान करता है।

यह (ई-ग्राम स्वराज) एप्लिकेशन योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाता है और उसे विकेन्द्रीकृत करता है ताकि योजनाओं द्वारा प्रयुक्त विकास निधि के प्रभावी परिणाम प्राप्त हों।

- निधियों के अभिसरण और क्षेत्रीय एकीकरण के माध्यम से तैयार की गई योजनाएं एक ओर यह सुनिश्चित करती हैं कि उपलब्ध निधियों का अधिकतम संभव सीमा तक उपयोग किया जाता है, ताकि धनराशि की कमी के कारण महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़ा न जा सके।
- लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को देखते हुए बॉटम-अप योजना बनाने की प्रक्रिया।
- नियोजित परिव्यय और वास्तविक व्यय के बीच गहरा सम्बन्ध।"

4.8 भारत सरकार भारत की एक ऐसे डिजिटल रूप से समावेशी और सशक्त समाज के रूप में परिकल्पना करती है जहां ग्रामीण आबादी का एक बड़ा वर्ग नई प्रौद्योगिकियों से लाभ उठाने में सक्षम हो, उनकी स्वतंत्र रूप से जानकारी और सेवाओं तक पहुंच हो और वे उसे साझा कर सकें और विकास प्रक्रिया में अधिक प्रभावी ढंग से भाग ले सकें। ई-गवर्नेंस, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों को सेवा प्रदान करना डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का प्रमुख पहलू है और एमओपीआर का 5 वर्षीय विजन दस्तावेज है। एमओपीआर का उद्देश्य स्मार्ट गवर्नेंस के उद्देश्य को पूरा करना और ऑनलाइन सेवाओं के प्रावधान के लिए सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी)को बढ़ावा देना है। इसने इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सीएससी ग्राम पंचायत भवनों में ही स्थित होंगे और विभिन्न सेवाएं देंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने 2.50 लाख ग्राम पंचायतों के साथ देश भर में प्रत्येक ग्राम पंचायत (जीपी) में कम से कम एक आत्मनिर्भर सीएससी स्थापित करने के उद्देश्य से "ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण" की परिकल्पना की है।

"पंचायती राज मंत्रालय ने समझौता ज्ञापन के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं:

i) भारत भर में सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सहायता प्राप्त सेवाओं के लिए विभिन्न एमओपीआर अनुप्रयोगों के साथ एससीएस प्लेटफार्म के एकीकरण का समर्थन।

ii) परियोजना के कार्यान्वयन में सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार को परामर्शिका/अनुदेश जारी करना।

iii) जहां कहीं भी व्यवहार्य और संभव हो, अन्य मंत्रालयों और विभागों के साथ बातचीत के माध्यम से सेवाओं में सुधार करना।

iv) एक नोडल अधिकारी को नामित करना जो राज्यों के साथ इस परियोजना की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करने के लिए परियोजना के समग्र प्रभारी होंगे।

v) मौजूदा केन्द्रीय वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अपनी संबंधित पंचायती राज संस्थाओं में सीएससी केन्द्र परियोजना शुरू करने के लिए राज्यों के लिए निधियों के उपयोग के संबंध में परामर्शी-पत्र जारी करना। तथापि, प्रति माह प्रति पंचायत का भुगतान प्रत्येक राज्य के स्तर पर परस्पर सहमति के आधार पर होगा।

vi) परियोजना निगरानी और संचालन समिति (पीएमएससी) का गठन करना जिसमें एमओपीआर, सीएससी-एसपीवी और नामित राज्यों के अधिकारी शामिल होंगे। पीएमएससी के पास निरीक्षण और निगरानी कार्य होंगे और यह परियोजना के सुचारू संचालन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। समिति प्रगति की समीक्षा करेगी और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपयुक्त समय पर परामर्शिका/अनुदेश जारी करेगी। संरचना और विचारार्थ विषयों को सभी पक्षों के साथ परस्पर समझौते के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है।

vii) एमओपीआर सीएससी-एसपीवी मास्टर ट्रेनरों को पीईएस पर प्रशिक्षण प्रदान करेगा। सीएसवी एसपीवी वीएलई को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा।"

4.9 ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण का लक्ष्य, उद्देश्य और कार्यक्षेत्र

ई पंचायत एमएमपी का उद्देश्य देश भर में लगभग-2.55 लाख पंचायतों की आंतरिक वर्कफ़्लो प्रक्रियाओं को स्वचालित करना है जिससे लगभग 30 लाख निर्वाचित सदस्य और

लगभग 10 लाख पीआरआई पदाधिकारी लाभान्वित होते हैं और स्थानीय शासन में सुधार लाते हैं तथा लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाते हैं।

"पंचायत में डिजिटलीकरण का उद्देश्य पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के कामकाज को बदलना है जिससे वे विकेंद्रीकृत स्थानीय स्व-सरकारों के अंतिम छोर के अत्याधुनिक अंगों के रूप में अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बन सकें। पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है:

- कंप्यूटर और इसके सहायक उपकरण सहित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के लिए बुनियादी ढांचा, इंटरनेट कनेक्टिविटी और बिजली उपलब्ध कराना।
- ग्राम पंचायत भवन में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) का सह-स्थापन, पंचायत के कामकाज का डिजिटलीकरण और स्थानीय रोजगार का सृजन।
- ई-गवर्नेंस के माध्यम से स्मार्ट पंचायत: ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत कोर कॉमन एप्लिकेशन के सुइट के माध्यम से कवरेज और पारदर्शिता को बढ़ाकर और नागरिकों की प्रतिक्रिया में सुधार करके डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।"

4.10 ग्राम पंचायतों को सशक्त और सक्षम बनाने में इस कार्यक्रम की उपयोगिता के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"ई-पंचायत एमएमपी पंचायतों के कामकाज के विभिन्न पहलुओं का समाधान करता है और चुनाव, निर्वाचित सदस्यों, समिति की जानकारी आदि के विवरण सहित पंचायत प्रोफाइल बनाने में सहायता करता है। यह अनुप्रयोग पंचायतों को गतिविधियों की योजना बनाने और वार्षिक कार्य योजना बनाने की सुविधा भी देता है। यह पंचायतों को अनुमोदित गतिविधियों की भौतिक और वित्तीय प्रगति को रिकॉर्ड करने और निधि की प्रभावी निगरानी के लिए कार्य-आधारित लेखांकन रखने के लिए मंच प्रदान करता है। ई-ग्रामस्वराज अनुप्रयोग ओपन-सोर्स प्रौद्योगिकियों पर आधारित मजबूत प्रमाणीकरण तंत्र के माध्यम से सीधे वेंडर के खाते में ऑनलाइन भुगतान में सहायक है। इसके अलावा यह पंचायतों की सभी अचल और चल संपत्तियों का विवरण कैप्चर करता है और संग्रहीत करता है।"

4.11 ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति का 17 से 23 अगस्त, 2021 तक महाराष्ट्र के अमरावती, चंद्रपुर, नागपुर, वर्धा जिलों की ग्राम पंचायतों का अध्ययन दौरा। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अवलोकन किए:

(क) ग्राम पंचायतें सीएससी-आरडीडी समझौता ज्ञापन के तहत अनिवार्य वार्षिक आधार पर सीएससी एसपीवी को अग्रिम रूप से सेवा शुल्क का भुगतान कर रही थीं।

(ख) अधिकांश ग्राम पंचायतों में सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन नहीं था। ग्राम पंचायतों में, जिन्हें इंटरनेट कनेक्शन प्रदान किया गया है, यह गैर-कार्यात्मक पाया गया। अधिकांश सीएससी ऑपरेटर सीएससी सेवाएं प्रदान करने के लिए निजी इंटरनेट कनेक्शन (जियो मोबाइल इंटरनेट) का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा, सीएससी ऑपरेटरों ने समिति को सूचित किया कि सीएससी द्वारा उनके निजी इंटरनेट की लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की जा रही है।

(ग) कोविड -19 के दौरान प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुत नागपुर जिले में उमरेड पंचायत समिति की एक ब्लॉक स्तरीय रिपोर्ट के अनुसार, यह बताया गया कि पिछले 29 महीनों में 54 केंद्रों द्वारा केवल 5316 प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। मोटे तौर पर गणना करने पर यह पाया गया कि 1.5 लाख रुपये प्रति सीएससी प्रति वर्ष की राशि के अनुसार लगभग 1.96 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया, इस अनुसार एक प्रमाण पत्र की कीमत लगभग 3682/- रुपये है।

(घ) सीएससी ऑपरेटर के भुगतान में देरी का मामला भी समिति के समक्ष रखा गया।

(ड़) समिति ने की गई डेटा प्रविष्टियों, जीपी के डिजिटलीकरण और सीएससी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में पूछताछ की, सीएससी के ब्लॉक प्रबंधक और बीडीओ जैसे लोक सेवक जवाब देने में असमर्थ थे। पिछले 6 वर्षों में एक भी ग्राम पंचायत को डिजीटल नहीं पाया गया।

(च) सीएससी ऑपरेटरों और ब्लॉक मैनेजर (सीएससी एसपीवी) को आरडीडी-सीएससी के साथ समझौते के अनुसार नागरिकों को प्रदान की जाने वाली अनिवार्य सेवाओं के बारे में जानकारी का अभाव पाया गया।

(छ) सीएससी एसपीवी अनुबंध के तहत अनिवार्य होने के साथ-साथ कंप्यूटर और प्रिंटर के रखरखाव के लिए आवश्यक स्टेशनरी यानी पेपर रीम, टोनर और समर्थन प्रदान नहीं कर रहा था।

(ज) इसके अलावा, अन्य ग्रे क्षेत्र भी थे, कंप्यूटर, फंड, प्रशिक्षित जनशक्ति, बुनियादी ढांचा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक अनियमितताओं से उत्पन्न रखरखाव के लिए कोई प्रावधान नहीं, केंद्रीय निधि की उचित निगरानी नहीं, किसी भी स्तर पर किए गए कार्यों की निगरानी नहीं आदि।

4.12 कंप्यूटर हार्डवेयर-युक्त और इंटरनेट से जोड़ी गई ग्राम पंचायतों के बारे मे पूछे जाने पर मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि:

"ग्राम पंचायत में पर्याप्त इंटरनेट की सुविधा के लिए सभी ग्रामीण स्थानीय निकायों (पारंपरिक स्थानीय निकायों; आरएलबी सहित) (लगभग 2.71 लाख आरएलबी) को जोड़ने के लिए नेटवर्क बनाने हेतु दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। देश में ब्रॉडबैंड द्वारा 01-11-2021 तक 165,956 आरएलबी सेवा के लिए तैयार हैं जिनमें से 50,558 आरएलबी भारतनेट परियोजना के माध्यम से सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग कर रहे हैं।"

<u>कंप्यूटर के साथ और बिना कंप्यूटर के टीएलबी सहित ग्राम पंचायतें</u>

क्र.सं.	राज्य	टीएलबी सहित ग्राम पंचायतें	कंप्यूटर वाली जीपी
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	70	70
2	आंध्र प्रदेश	13371	7854
3	अरुणाचल प्रदेश	2108	305
4	असम	2666	1399
5	बिहार	8173	7626
6	छत्तीसगढ	11658	5484
7	गोवा	191	191
8	गुजरात	14257	14253
9	हरियाणा	6225	2500
10	हिमाचल प्रदेश	3615	3226
1 1	जम्मू एवं कश्मीर	4291	3973

क्र.सं.	राज्य	टीएलबी सहित ग्राम पंचायतें	कंप्यूटर वाली जीपी
12	झारखंड	4352	3753
13	कर्नाटक	5975	5550
14	केरल	941	941
15	लद्दाख	193	184
16	लक्षद्वीप	10	10
17	मध्य प्रदेश	22741	22710
18	महाराष्ट्र	27897	26167
19	मणिपुर	3818	86
20	मेघालय	9005	5171
21	मिजोरम	834	175
22	नागालैंड	1288	216
23	उड़ीसा	6798	6798
24	पुदुचेरी	108	100
25	पंजाब	13263	13263
26	राजस्थान	11341	9701
27	सिक्किम	185	165
28	तमिलनाडु	12525	12525
29	तेलंगाना	12769	4783
30	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	38	38
31	त्रिपुरा	1219	412
32	उत्तर प्रदेश	58189	36167
33	उत्तराखंड	7791	1939
34	पश्चिम बंगाल	3340	3340
	कुल	**271245**	**201075**

ग्राम पंचायत भवन में सेवा के लिए तैयार और सक्रिय इंटरनेट की स्थिति

क्रमांक	राज्य	कुल आरएलबी	दिनांक 01-11-2021 तक सेवा के लिए तैयार	दिनांक 30-11-2021 तक आरएलबी में सक्रिय इंटरनेट
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	271	24	
2	आंध्र प्रदेश	13371	1708	717
3	अरुणाचल प्रदेश	2108	749	
4	असम	2666	1499	498
5	बिहार	8168	8168	2846
6	छत्तीसगढ	11658	8386	3294
7	गोवा	191	191	191
8	गुजरात	14257	13888	4623
9	हरियाणा	6230	6082	2256
10	हिमाचल प्रदेश	3615	403	193
1 1	जम्मू एवं कश्मीर	4290	1055	221
12	झारखंड	4351	4049	1585
13	कर्नाटक	5975	5975	2421
14	केरल	941	941	87
15	लद्दाख	193	187	
16	लक्षद्वीप	10	9	
17	मध्य प्रदेश	22741	16698	5367
18	महाराष्ट्र	27892	21247	8803
19	मणिपुरी	3818	1436	3
20	मेघालय	9000	625	2
21	मिजोरम	834	452	
22	नागालैंड	1285	224	
23	ओडिशा	6798	6230	2418
24	पुदुचेरी	108	98	44

25	पंजाब	13263	12668	5432
26	राजस्थान	11341	8769	21
27	सिक्किम	185	23	
28	तमिलनाडु	12525	0	
29	तेलंगाना	12769	5676	777
30	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	38	0	28
31	त्रिपुरा	1219	711	514
32	उत्तर प्रदेश	58188	33858	6460
33	उत्तराखंड	7791	1629	783
34	पश्चिम बंगाल	3341	2298	974
		271431	**165956**	**50558**

* आरएलबी ग्राम पंचायत और पारंपरिक स्थानीय निकाय शामिल)ग्रामीण स्थानीय निकाय - (हैं

दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक रोल आउट सीएससी की राज्यवार स्थिति-संघ राज्य क्षेत्र/

क्रमांक	राज्यसंघ राज्य क्षेत्र/	आरएलबी की संख्या	कम से कम 1 वीएलई की पहचानजीपी/	जीपी स्तर पर सक्रिय सीएससी	पंचायत भवन में सीएससी सह पनस्था-
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	271	54	30	0
2	आंध्र प्रदेश	13371	13361	6160	426
3	अरुणाचल प्रदेश	2108	465	105	0
4	असम	2666	2201	8104	35
5	बिहार	8168	8385	32321	4619
6	छत्तीसगढ	11658	11654	13757	6361
7	गोवा	191	189	89	0
8	गुजरात	14257	14291	7495	0
9	हरियाणा	6230	6197	12993	1180
10	हिमाचल प्रदेश	3615	3226	3919	195
1 1	जम्मू एवं कश्मीर	4290	4193	4609	136

क्रमांक	राज्यसंघ राज्य क्षेत्र/	आरएलबी की संख्या	कम से कम 1 वीएलई की पहचानजीपी/	जीपी स्तर पर सक्रिय सीएससी	पंचायत भवन में सीएससी सह पनस्था-
12	झारखंड	4351	4161	13533	3500
13	कर्नाटक	5975	6021	7803	150
14	केरल	941	941	4048	0
15	लद्दाख	193	192	65	0
16	लक्षद्वीप	10	10	15	0
17	मध्य प्रदेश	22741	22810	28036	5011
18	महाराष्ट्र	27892	27875	31739	19856
19	मणिपुर	3818	165	737	0
20	मेघालय	9000	1463	843	0
21	मिजोरम	834	713	225	0
22	नागालैंड	1285	1203	283	0
23	ओडिशा	6798	6797	12731	3800
24	पुदुचेरी	108	98	118	0
25	पंजाब	13263	13202	7595	6
26	राजस्थान	11341	10761	14817	0
27	सिक्किम	185	110	59	0
28	तमिलनाडु	12525	12560	7151	0
29	तेलंगाना	12769	7244	4002	0
30	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	38	35	39	0
31	त्रिपुरा	1219	1178	1207	86
32	उत्तर प्रदेश	58188	59021	77900	0
33	उत्तराखंड	7791	7953	6131	662
34	पश्चिम बंगाल	3341	3324	16891	590
	कुल योग	**271431**	**252053**	**325550**	**46613**

* आरएलबी ग्राम पंचायत और पारंपरिक स्थानीय निकाय शामिल)ग्रामीण स्थानीय निकाय - (हैं

4.13 ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण कार्यक्रम के कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय की रणनीति के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया है कि:

> "इस मंत्रालय ने पंचायती राज मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में दो परियोजना निगरानी और संचालन समितियों (पीएमएससी) का गठन किया है। राज्यों में ई-पंचायत आवेदन को सुव्यवस्थित करने के लिए एक पीएमएससी का गठन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य सूचना के अतिरेक को कम करना, ग्राम पंचायत स्तर पर आवेदन की पहुंच को सुविधाजनक बनाना और राज्य के प्रतिनिधियों के इनपुट/सुझावों के साथ है। एप्लिकेशन की मुख्य कार्यक्षमता में सुधार करना है। ग्राम पंचायत भवन में भारतनेट परियोजना और सीएससी सह-स्थापना के तहत सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन की निगरानी के लिए एक अन्य परियोजना निगरानी और संचालन समिति (पीएमएससी) का गठन किया गया है। समिति का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों की सेवा को तैयार करने में प्रगति की निगरानी करना और ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है।"

4.14 यह पूछे जाने पर कि क्या सीएससी ऑपरेटर आरजीएसए के तहत उपलब्ध कराए गए उपकरणों (कंप्यूटर और अन्य हार्डवेयर) का उपयोग कर सकते हैं, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में कहा है कि:

> "सटीक कार्यप्रणाली राज्य और सीएससी एसपीवी के बीच द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों के माध्यम से नियंत्रित होती हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड राज्य के साथ वर्तमान में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के अनुसार, सीएससी ग्राम पंचायत में पहले से उपलब्ध बुनियादी ढांचे का उपयोग करेगा। तथापि, परियोजना के दौरान ग्राम पंचायत हार्डवेयर पर कोई व्यय नहीं करेगी। सीएससी समयबद्ध तरीके से संचालन शुरू करने के लिए इसके किसी भी हिस्से को प्रतिस्थापित करेगा।

4.15 मंत्रालय से "ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण" के लिए सीएससी-एसपीवी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के आधार के बारे में पूछे जान पर, मंत्रालय ने बताया कि:

"सुमित बोस समिति द्वारा आयोजित "ग्रामीण विकास कार्यक्रम में बेहतर परिणाम के लिए प्रदर्शन आधारित भुगतान समिति" पर रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार, आईटी और लेखा के लिए सहायक कर्मचारियों को सीएससी से आउटसोर्स किया जा सकता है। ग्राम पंचायतों में तकनीकी जनशक्ति और बुनियादी ढांचे की कमी है। कम्प्यूटरीकरण, तकनीकी जनशक्ति के बुनियादी ढांचे के उपयोग को अनुकूलित करने और ग्राम पंचायतों में कुशल स्थानीय शासन प्राप्त करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) और सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एमओयू का उद्देश्य डिजिटल पंचायत बनाने के लिए सामान्य सेवा केंद्रों और राज्य के बीच तालमेल का सुझाव देना है और सीएससी को निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए ग्राम पंचायतों से जोड़ा जाएगा:

(क) ग्राम पंचायत भवन में सीएससी को संगठित करके ऑनलाइन सेवाओं की सुपुर्दगी।

(ख) ई-गवर्नेंस में सहायता करना: अनुप्रयोगों में डेटा इनपुट का कार्य करना, कंप्यूटर और नेटवर्किंग उपकरण के रखरखाव में सहायता करना।

(ग) प्रशिक्षण: डिजिटल प्रशिक्षण और अन्य डोमेन प्रशिक्षण आदि प्रदान करने में सहायता करना।"

4.16 मंत्रालय से पूछा गया था कि "मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड राज्य के साथ वर्तमान में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के अनुसार, सीएससी ग्राम पंचायत में पहले से उपलब्ध बुनियादी ढांचे का उपयोग करेगा"। हालांकि, भारत सरकार के समर्थन के बिना सीएससी को आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिकल्पित किया गया है, मंत्रालय ने इस विसंगति के लिए निम्नलिखित कारण बताए हैं:

"कार्यों की वर्तमान योजना के तहत, राज्यों से उठाई गई मांग के आधार पर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) केवल सीमित पैमाने पर सीएससी की सह-स्थापना के लिए खर्च की अनुमति देता है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आरजीएसए के तहत जारी की गई धनराशि को सीएससी के सह-स्थापन सहित अनुमोदित गतिविधियों के लिए स्वीकृत राशि तक उपयोग करने के लिए पर्याप्त लचीलापन दिया गया है।

यह पंचायतों में सीएससी कार्यों की सहायता करने के लिए राज्यों के प्रयासों का पूरक है, जिनमें से सटीक तौर-तरीके राज्य और सीएससी एसपीवी के बीच द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों के माध्यम से नियंत्रित होते हैं।"

4.17 मंत्रालय से एफएफसी के खंड के बारे में भी पूछा गया था कि पंद्रहवें वित्त आयोग के शर्तमुक्त अनुदान के तहत मौजूदा कर्मचारियों/स्थायी और अनुबंध के वेतन/मानदेय की अनुमति नहीं है और सीएससी-एसपीवी के साथ राज्यों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के अनुसार कंप्यूटर ऑपरेटर का वेतन अनुदान से दिया जा रहा है, इस संबंध में मंत्रालय ने निम्नानुसार उत्तर दिया है:

"यह माना जाता है कि पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत, ग्राम पंचायतों द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं में सुधार सहित ओएंडएम और पूंजीगत व्यय के लिए तकनीकी और प्रशासनिक सहायता को पूरा करने के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा 10% शर्तमुक्त अनुदान का उपयोग किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, राज्य/पंचायत जमीनी स्तर पर सेवाएं प्रदान करने के लिए भुगतान के अन्य रास्ते तलाशने के लिए स्वतंत्र हैं, जैसे राजस्व का अपना स्रोत, राज्य की योजनाएं/अनुदान आदि।"

4.18 पंचायती राज मंत्रालय के समक्ष चुनौतियों और बाधाओं, उपलब्ध धन और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता, ई-एमएमपी को बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

"ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना के पूर्ण लाभों को हासिल करने के लिए, यह जरूरी है कि सभी ग्राम पंचायत इंटरनेट से जुड़े हों और उनके पास पर्याप्त बुनियादी ढांचा हो। इसलिए, ई-पंचायत एमएमपी भारतनेट परियोजना को शुरू करने पर निर्भर है जो देश के सभी ग्राम पंचायतों को जोड़ने का प्रयास करती है। हालाँकि, केवल ऑप्टिकल फाइबर बिछाने से चिंताओं का समाधान नहीं होता है। अन्तिम छोर तक कनेक्टिविटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, प्रशिक्षित जनशक्ति और क्षमता की कमी राज्यों में ई-पंचायत शुरू करने में गंभीर चुनौती पेश करती है। राज्य वर्तमान में ई-सक्षमता के

मामले में विभिन्न स्तरों की तैयारी में हैं। इसके अलावा, पंचायती राज मंत्रालयने ई-वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (ई-एफएमएस) पर भी जोर दिया है।इस प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वास्तविक समय में भुगतान करने के उद्देश्य से ई-ग्राम स्वराज-पीएफएमएस को अपनाना है। इस प्रयास के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, ई-ग्राम स्वराज एप्लिकेशन के तहत लेखा मॉड्यूल को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकृत किया गया है। वर्तमान में, मंत्रालय ई-ग्राम स्वराज पर खाता बंद करने के साथ-साथ पीएफएमएस के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान के लिए राज्यों से अनुरोध कर रहा है। वर्ष 2021-22 के लिए 83 प्रतिशत ग्राम पंचायतों ने अपनी मंथ बुक बंद कर दी हैं। इसके अलावा, 2.31 लाख ग्राम पंचायतें ई-ग्राम स्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस पर ऑन-बोर्ड हो चुकी हैं, जिसमें से वर्ष 2021-22 के लिए 1.86 लाख ग्राम पंचायतों ने 15वें वित्त आयोग के तहत किए गए खर्च के लिए ऑनलाइन भुगतान मॉड्यूल (पूर्ववर्ती प्रियासॉफ्ट-पीएफएमएस इंटरफेस (पीपीआई) के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया है।“

अध्याय पांच

स्वामित्व
(ग्रामीण सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण)

स्वामित्व स्कीम (ग्रामीण सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण) 24 अप्रैल, 2020, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है। इस स्कीम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अपने घर के गृह मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करना और संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करना है। यह स्कीम पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआई) के सहयोगात्मक प्रयासों से कार्यान्वित की जा रही है। यह ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए ग्रामीण आवासीय संपत्तियों के मुद्रीकरण की सुविधा प्रदान करेगा। देश में लगभग 6.62 लाख गांव ऐसे हैं जो अंततः इस योजना में शामिल हो जाएंगे। पूरा काम चार साल (वित्त वर्ष 2020- 24) की अवधि में फैले होने की संभावना है। योजना का पायलट चरण वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान लागू किया गया था और हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के लगभग 1 लाख गांवों, पंजाब और राजस्थान और आंध्र प्रदेश के कुछ सीमावर्ती गांवों को कवर किया गया था। पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में कंटीन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम (सीओआरएस) नेटवर्क की स्थापना।

योजना के निम्नलिखित घटकों के लिए निधियां जारी की जाती हैं:

i. सतत संचालन संदर्भ स्टेशनों (कोर्स) नेटवर्क की स्थापना (भारतीय सर्वेक्षण को वित्त पोषित)
यह घटक भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा कॉर्सनेटवर्क की स्थापना प्रदान करता है। यह कॉर्स नेटवर्क की स्थापना के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।

ii. ड्रोन का उपयोग करके बड़े पैमाने पर मानचित्रण (भारतीय सर्वेक्षण के लिए वित्त पोषित)
इस घटक को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा देश के आबादी वाले गांवों में ड्रोन का उपयोग करके बड़े पैमाने पर मानचित्रण के लिए वित्त पोषित किया जाएगा।

iii. आईईसी पहल (राज्य राजस्व विभाग को एमओपीआर द्वारा वित्त पोषित)
सर्वेक्षण पद्धति और इसके लाभों के बारे में स्थानीय आबादी को जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम। पंचायती राज मंत्रालय राज्य के राजस्व विभाग/नोडल विभाग को निधि उपलब्ध कराएगा

iv. परियोजना प्रबंधन:
क) पंचायती राज मंत्रालय में राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को वित्त पोषित)
ख) राज्य राजस्व विभाग में राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना (राज्य राजस्व विभाग को एमओपीआर द्वारा वित्त पोषित)

v. अनुप्रयोग संवर्द्धन - क. ग्राम मानचित्रख. स्वामित्वडैशबोर्ड (राष्ट्रीय विज्ञानसूचना केंद्र को एमओपीआरद्वारा वित्त पोषित)

vi. दस्तावेज़ीकरण सहायता, राष्ट्रीय/क्षेत्रीय स्तर की कार्यशाला और एक्सपोजरविज़िट (राज्य/राज्य सरकार किसी भी सरकारी एजेंसी को अनुदान सहायता शीर्ष के तहत पंचायती राज मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित)
इस योजना के तहत अधिकांश निधियां सतत संचालन संदर्भ स्टेशनों (सीओआरएस) और बड़े पैमाने पर मानचित्रण (एलएसएम) घटकों के लिए निर्धारित की गई हैं और इन्हें भारतीय सर्वेक्षण विभाग को स्वीकृत किया गया है। सूचना-शिक्षा-संचार (आईईसी) और राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू) घटकों के तहत सीमित पैमाने पर निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की जाती हैं।

<u>योजना (वित्त वर्ष 2020-25)</u>

- देश भर के सभी गांवों को कवर करती है
- 567 कोर्स नेटवर्क की स्थापना
- योजना का पायलट चरण (वित्त वर्ष 2020-21)
- 29 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश इस योजना में शामिल हैं, जिनमें त्रिपुरा की स्वायत्त जिला परिषद (छठी अनुसूची क्षेत्र) और बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद और असम की कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद शामिल हैं।

5.2 स्वामित्व स्कीम के तहत 'हक विलेख'/ संपत्ति का रिकॉर्डप्रदान करने की प्रक्रिया क्या है

के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने अपने लिखित जवाब में कहा कि:

“स्वामित्व स्कीम पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है जिसका उद्देश्य संपत्ति के मालिकों को कानूनी दस्तावेज / संपत्ति कार्ड जारी करने के साथ गांवों में बसे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में घर रखने वाले गांव के गृह मालिकों को 'हक विलेख' प्रदान करना है। यह स्कीम वर्ष 2025 तक देश भर के सभी गांवों को कवर करेगी।

यह स्कीम पंचायती राज मंत्रालय, राज्य सरकारों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोगात्मक प्रयासों से क्रियान्वित की जा रही है। पंचायती राज मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन भागीदार है और ड्रोन सर्वेक्षण एवं मानचित्र तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। राज्य सरकार ड्रोन सर्वेक्षण के तहत बनाए गए मानचित्रों के उचित सत्यापन के बाद ग्रामीण परिवार के मालिकों के लिए संपत्ति कार्ड बनाने के लिए जिम्मेदार है।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने राज्य के नियमों/अधिनियमों के तहत आबादी/लालडोरा/गौधन क्षेत्र के ड्रोन आधारित सर्वेक्षण के लिए प्रावधान किया है और संपत्ति कार्ड प्रारूप बनाया है। राज्य सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सर्वेक्षण क्षेत्र को अधिसूचित करता है। ग्राम पंचायत गांव के निवासियों को सर्वेक्षण की समय-सारणी के बारे में सूचित करने और ग्राम सभा के लिए सर्वेक्षण पद्धति तथा इसके लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए आमंत्रित करती है। सर्वेक्षण क्षेत्रों का ग्राउंड मार्किंग ग्राम पंचायतों, ग्रामीणों, राजस्व अधिकारियों आदि की उपस्थिति में किया जाता है। निर्धारित तिथि पर, भारतीय सर्वेक्षण विभाग गाँव के बसे हुए क्षेत्रों का ड्रोन सर्वेक्षण करता है और ड्रोन छवियों को कैप्चर करता है। संपत्ति के मानचित्र/भूमि पार्सल के निर्माण के लिए इन छवियों को भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा आगे संसाधित किया जाएगा। राज्य सृजित संपत्ति के मानचित्र का जमीनी सत्यापन करता है और संपत्ति के मालिकों के विवरण को भी कैप्चर करता है। फिर, भारतीय सर्वेक्षण विभाग राज्य सत्यापित मानचित्रों में सुधार करता है।

संशोधित मानचित्रों को आगे दावों और आपत्तियों के लिए रखा जाता है। विभिन्न भूमि भूखंडों पर स्वामित्व के दावों का सत्यापन और इसके वास्तविक मालिक को भूमि पार्सल का कब्जा प्रदान करना राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसके लिए अधिकार राज्य सरकारों के पास निहित है। प्रत्येक राज्य ने दावों और आपत्तियों को उठाने के लिए समय-अवधि परिभाषित/ निर्धारित की है। राज्य सरकार अंतिम मानचित्रों के अधिनिर्णय प्रदान करने के लिए अधिसूचना जारी करती है। ग्राम पंचायत और राजस्व अधिकारी स्वामित्व का पुन: सत्यापन करते हैं और संपत्ति मालिकों से प्राप्त किसी भी सर्वेक्षण के बाद की आपत्तियों का समाधान करते हैं। ये मालिक के नाम, संपत्ति की सीमाओं, साझा जोत आदि में सुधार से संबंधित हो सकते हैं। अनसुलझे आपत्तियों/विवादों के लिएअंतिम निर्णय राज्य के अधिकारियों के पास है जैसा कि उनके अधिनियम/नियमों में दिया गया है।

दावों और आपत्तियों के समाधान के बादअंतिम मानचित्र तैयार किए जाते हैं और राज्य सरकार संपत्ति कार्ड बनाती हैजो संपत्ति धारकों को वितरित किए जाते हैं।"

5.3 <u>गरीबी में कमी और ग्रामीण बुनियादी ढांचे की चुनौतियों के शमन पर स्वामित्वस्कीम का प्रभाव</u>

स्वामित्वस्कीम का ग्रामीण गृह-मालिकों के लिए संपत्ति का अधिकार प्रदान करने का बड़ा जरिया है, संपत्ति के मालिकों द्वारा वित्तीय संस्थानों से ऋण आवेदन करने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, स्पष्ट शीर्षक के साथ संपत्ति से संबंधित विवादों में कमी, सटीक भू-आकार निर्धारण और पारदर्शी भूमि शीर्षक, स्वामित्वराज्यों को संपत्ति कर लगाने और एकत्र करने के लिए ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने की संभावना प्रदान करता है, जो बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) की तैयारी में सहायता के लिए उन्हें वित्तीय साधन प्रदान करेगा और सटीक भूमि रिकॉर्ड और जीआईएसमानचित्र तैयार करेगा। इस योजना की परिकल्पना निम्न उद्देश्यों हेतु की गई है:

- देश भर के सभी बसे हुए गांवों का ड्रोन आधारित सर्वेक्षण
- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के नियमों/अधिनियमों के अनुसार संपत्ति धारक के लिए कानूनी दस्तावेज "संपत्ति कार्ड" का सृजन

विविध अनुप्रयोगों के लिए स्थानीय सेवाओं में 5 सेमी सटीकता के साथ देश भर में सतत संचालन संदर्भ स्टेशनों(कोर्स) का संचालन स्वामित्वयोजना व्यक्तियों और ग्राम पंचायतों के सामाजिक-आर्थिक आधार को बढ़ाती है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है।यहड्रोन आधारित तकनीक का उपयोग करके सर्वेक्षण के माध्यम से देश के बसे हुएग्रामीण क्षेत्रों में हर घर को संपत्ति का अधिकार प्रदान करता है।यहअनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगों, अल्पसंख्यकों, महिलाओंऔर अन्य कमजोर समूहों सहित आबादी भूमि पर रहने वाली पूरी जनसंख्याको कवर करनेका प्रयास करता है।यह संपत्ति के मालिकों द्वारा वित्तीय संस्थानों से ऋण आवेदन करने के लिए भी रास्ता खोलता है।योजना के तहत सृजित सटीक मानचित्रों का व्यापक विकास योजना तैयार करने के लिए आगे उपयोग किया जा सकता है।कॉर्सनेटवर्क विकास कार्यों और परियोजनाओं के आसान आकलन के लिए ढांचा प्रदान करता है।

5.4 योजना की प्रगति के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नानुसार सूचित किया है:

"दिनांक 31.12.2021 तक नई लॉन्च की गई स्वामित्व स्कीम के तहत, 94,387 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षणपूरा हुआ, 40,785 गांवों में पूछताछ प्रक्रिया / आपत्ति प्रक्रिया के बाद नक्शे तैयार किए गए और 209 कोर्ससाइटों का निर्माण किया गया। स्वामित्व: अब तक 29 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश इस योजना से जुड़ चुके हैं। स्वामित्वस्कीम से जुड़ने हेतु शेष राज्यों के साथ चर्चा चल रही है।"

5.5 स्वामित्व के प्रदर्शन पर निगरानी और नियंत्रण की प्रणाली के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नानुसार सूचित किया है:

" (i) योजना के डैशबोर्ड (https://svamitva.nic.in) के माध्यम से प्रमुख प्रदर्शन संकेतक मापदंडों पर योजना की प्रगति की निगरानी की जा सकती है।

(ii) योजना की रूपरेखा समय पर निगरानी, रिपोर्टिंग और पाठ्यक्रम सुधार (जहां भी आवश्यक हो)के लिए चार स्तरीय निगरानी और मूल्यांकन ढांचा प्रदान करती है।यहराष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर और पंचायत स्तर पर संचालित होगा औरइसमें प्रासंगिक निर्णय लेने वाले और विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे"।

5.6 2021-22 के लिए आरई के आंकड़े 140.00 करोड़ वास्तविक व्यय के साथ 05 जनवरी 2022 को 105.53 करोड़ हैं। आरई को 200 करोड़ से घटाकर 140 करोड़ क्यों किया गया था और यह धनराशिमंत्रालय खर्च क्यों नहीं कर सका, इसके बारे मे मंत्रालय से पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नलिखित उत्तर दिया है :

"स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग (SOI) के सहयोगात्मक प्रयासों से लागू की जा रही है। विभिन्न चुनौतियों जैसे पर्याप्त ड्रोन की अनुपलब्धता, खराब मौसम की स्थिति जैसे बाढ़, तेज हवा आदि, कुछ राज्यों में घोषित चुनाव, COVID-19 महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंध, क्षेत्र स्तर की जनशक्ति की कमी आदि के कारण योजना की गति प्रभावित हुई। इन कारणों से कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात भारतीय सर्वेक्षण विभाग समय पर निधियों का उपयोग करने में असमर्थ थी। इसलिए, आरई स्टेज पर निधियों को घटाकर 140 करोड़ रुपये कर दिया गया। वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान में कोई कमी नहीं की गई। ईएफसी द्वारा अनुमोदित योजना के वर्ष-वार बजट परिव्यय के अनुसार150 करोड़ रुपये रखा गया था।"

5.7 जब मंत्रालय से पूछा गया की योजना के तहत कौन से विशिष्ट कार्य किए जाएंगे और योजना के कार्यान्वयन और निगरानी में पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका क्या है, मंत्रालय, ने समिति को सूचना दी है की :

" योजना के तहत किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों में निरंतर संचालित संदर्भ स्टेशन (सीओआरएस) की स्थापना और ड्रोन का उपयोग करके गांवों में आबादी क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर मानचित्रण शामिल है। इन दो घटकों के तहत गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग जिम्मेदार है। पंचायती राज मंत्रालय योजना के वित्तपोषण और समग्र निगरानी के लिए जिम्मेदार है।"

5.8 पंचायतीराज मंत्रालय के समक्ष चुनौतियों और बाधाओं, धन की आवश्यकता और उपलब्ध बुनियादी ढांचे, इसके संवर्धन की आवश्यकता, स्वामित्व योजना के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने अपने लिखित जवाब में कहा कि:

"स्वामित्व योजना के तहत प्रमुख चुनौतियों में स्वामित्व कोराज्य की मौजूदा प्रणाली के अनुकूल बनाना, भारतीय सर्वेक्षण विभागद्वारा मैप -1 को सौंपने मेंदेरी और राज्य द्वारा जमीनी सत्यापित नक्शे, खराब मौसम, हड़ताल, बाढ़, लॉकडाउन आदि जैसी अप्रत्याशित स्थितियाँ भारतीय सर्वेक्षण विभागसे अनुमोदन में देरी और भारतीय सर्वेक्षण विभागद्वारा पर्याप्त ड्रोन और प्रशिक्षितपायलटों की अनुपलब्धता का सामना करना पड़ रहा है। "

5.9 स्कीम के उद्देश्यों को प्राप्त करने का रोडमैप क्या है तथा मंत्रालय का कब तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का इरादा है, के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने अपने लिखित जवाब में कहा कि:

"इस स्कीम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए -

I. ड्रोन उड़ान और संपत्ति कार्ड तैयार करने के लिए तिमाही लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं
II. देश भर के सभी बसे हुए गांवों में ड्रोन उड़ान कार्य को मार्च, 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है
III. मार्च, 2025 तक सभी संपत्ति कार्ड बनाने का कार्य पूरा करना
IV. स्कीम के तहत अक्टूबर 2022 तक 567 कॉर्स नेटवर्क की स्थापना
V. व्यापक ग्राम नियोजन में सहायता के लिए स्कीम के तहत उत्पन्न उच्च-रिज़ॉल्यूशन मानचित्रों/जीआईएस डेटा के साथ पंचायती राज मंत्रालय के स्थानिक नियोजन अनुप्रयोग को बढ़ाना

लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम -

I. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के लिए मील के पत्थर

आधारित/ अपेक्षित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं

II. स्कीम की निगरानी और मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए राज्यों/भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ नियमित समीक्षा बैठक

III. स्कीम चार स्तरीय निगरानी प्रणाली प्रदान करती हैअर्थात राष्ट्रीय, राज्य, जिला और पंचायत

IV. ऑनलाइन निगरानी डैशबोर्ड राज्यों की ग्राम स्तर की प्रगति प्रदान करता है (svamitva.nic.in)

V. मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करता है

VI. एकाधिक हितधारक परामर्श अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, सरकार और सार्वजनिक प्रौद्योगिकी भागीदारों, बैंकों के साथ योजना के कार्यान्वयन को और कारगर बनाना।“

अध्याय छः

पंद्रहवें वित्त आयोग के अनटाइड निधियों का प्रत्यायोजन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 280(3) (खख) में कहा गया है कि केंद्रीय वित्त आयोग राज्य में पंचायतों के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। इस प्रावधान के अनुसरण में, मंत्रालय ने पंचायतों के लिए वित्तीय हस्तांतरण में वृद्धि के लिए लगातार अनुवर्ती केंद्रीय वित्त आयोगों को सिफारिश की है। 15वें वित्त आयोग के प्रभाव से, सभी तीन स्तरों में ग्रामीण स्थानीय निकाय और 28 राज्यों में पांचवीं और छठी अनुसूची क्षेत्रों के पारंपरिक निकाय मंत्रालय की सिफारिश पर केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान के लिए पात्र हो गए हैं। उत्तरोत्तर वित्त आयोगों ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को अधिक अंतरण किया है जो निम्नानुसार हैं: -

वित्त आयोग	समयावधि	हस्तांतरण राशि (राशि करोड़ रूपए में)
12वां	2005-10	20,000.00
13वां	2010-15	63,050.00
14वां	2015-20	2,00,292.20
15वां (अन्तरिम)	2020-21	60,750.00
15वां (अंतिम)	2021-26	2,36,805.00

6.2 वर्तमान वित्त आयोग द्वारा निर्धारित पैरामीटर के साथ मंत्रालय के विजनमैप के अनुसार लक्ष्यों (भौतिक और वित्तीय दोनों शर्तों में अलग-अलग) की उपलब्धि का प्रतिशत पूछे जाने पर मंत्रालय ने अपने लिखित जवाब में कहा कि:

"वर्तमान वित्त आयोग यानी पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) ने अपनी अंतरिम

रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सिफारिशें प्रस्तुत की और अंतिम रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए अनुदान की सिफारिश की। 2020-21 और 2021-22 के दौरान, मंत्रालय ने पीआरआई को मजबूत करने के लिए प्रशासन क्षमताओं को विकसित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजितस्कीम (सीएसएस) लागू की। आरजीएसए एक मांग संचालित स्कीम है जिसका मुख्य उद्देश्य देश भर में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना है। इस स्कीम के तहत कोई भी भौतिक और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था/हैं क्योंकि यह योजना राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चुनी गई वित्तीय गतिविधियों के लिए प्रदान की गई है, जैसा कि उनकी संबंधित वार्षिक कार्य योजना में दर्शाया गया है, जो आरजीएसए की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन के अधीन है। वर्ष्ज्ञ 2020-21 के दौरान, लगभग 33,34,000ईआर और अन्य हितधारकों ने योजना के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया। आरजीएसए, स्वामित्व, पंचायतों को प्रोत्साहनीकरण, ई-पंचायत पर मिशन मोड परियोजना, मीडिया और प्रचार और कार्य अनुसंधान एवं अनुसंधान अध्ययन की योजनाओं के तहत 2020-21 और 2021-22 (05.01.2022 तक) के दौरान वित्तीय उपलब्धि निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रूपए में)

स्कीमें	वर्ष	बीई	आरई	व्यय	आरई का व्यय प्रतिशत
आरजीएसए	2020-21	790.53	499.94	499.93	100.00
	2021-22	593.00	618.00	518.10	83.83
स्वामित्व	2020-21	0.00	79.65	79.65	100.00
	2021-22	200.00	140.00	105.53	75.38
पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण	2020-21	47.00	47.00	49.68	105.70
	2021-22	48.00	52.51	47.72	90.88
ई-पंचायत पर मिशन मोड परियोजना	2020-21	20.00	17.82	17.79	99.83
	2021-22	20.00	11.71	11.22	95.82
मीडिया एवं प्रचार	2020-21	8.00	10.22	7.50	73.39
	2021-22	15.00&	8.02&	4.74&	59.10&
कार्य अनुसंधान एवं अनुसंधान अध्ययन	2020-21	2.00	2.00	2.00	100.00
	2021-22	&	&	&	&

नोट: वर्ष 2021-22 का व्यय 05.01.2022 तक है

और वर्ष2021-22 से मीडिया एवं प्रचार और कार्य अनुसंधान एवं अनुसंधान अध्ययन की

योजनाओं को एक्शनरिसर्च एंड पब्लिसिटी के रूप में एक योजना में मिला दिया गया है।

6.3 सभी तीन स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं को पंद्रहवें वित्त आयोग (एफएफसी) अनुदान के हस्तांतरण में पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका के बारे मे पूछे जाने पर मंत्रालय ने अपने लिखित जवाब में कहा कि:

> " चौदहवें वित्त आयोग के पुरस्कार तक, केवल ग्राम पंचायतें ही अनुदान के लिए पात्र थीं। मंत्रालय की सिफारिश पर, पंचायतों के सभी तीन स्तर/ग्रामीण स्थानीय निकाय और पारंपरिक निकाय पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) के तहत अनुदान के लिए पात्र हैं। पंचायती राज मंत्रालय ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को पंद्रहवां वित्त आयोग (एक्सवीएफसी) अबद्ध अनुदान जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय को सिफारिशें करने के लिए नोडल मंत्रालय है।"

6.4 एफएफसी ने 2021-2026 के लिए अपनी सिफारिशों में पंचायती राज संस्थानों को अनुदान के हस्तांतरण को उन राज्यों में राज्य वित्त आयोगों के गठन के लिए बाध्य किया है जहां इसका गठन नहीं किया गया है। इसने पंचायती राज मंत्रालय को 2024-2025 और 2025-2026 के लिए अनुदान के अपने हिस्से को जारी करने से पहले इस संबंध में राज्य द्वारा सभी संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन को प्रमाणित करने का भी निर्देश दिया है। मंत्रालय इस अनुपालन के लिए राज्यों के साथ किस प्रकार समन्वय कर रहा है और ऐसे मामलों में अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने से पहले मंत्रालय द्वारा सुनिश्चित किए गए मानदंड/कार्यकलाप क्या है, के बारे मे पूछे जाने पर मंत्रालय ने अपने लिखित जवाब में कहा कि:

> " राज्यों को पहले ही मंत्रालय द्वारा सलाह दी गई है कि वे राज्य वित्त आयोगों (एसएफसी) के गठन की शर्तों के अनुपालन के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करें और वित्तीय वर्ष 2024-25 से 15 वे वित्त आयोग अनुदान की निकासी के लिए एसएफसी रिपोर्ट को विधानसभाओं पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ रखने के लिए सभी संबंधित प्रावधानों को पूरा करें। इन शर्तों के अनुपालन को राज्यों द्वारा अपने अनुदान हस्तांतरण प्रमाणपत्र (जीटीसी) में प्रमाणित करना होगा जिसे मंत्रालय द्वारा 15 वें वित्त आयोग अनुदान जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय को सिफारिश करने से पहले सत्यापित किया जाएगा।"

6.5 एफएफसी द्वारा अपनी सिफारिशों में उल्लिखित शर्तों में से एक के रूप में राज्यों द्वारा विधिवत गठित पीआरआई जैसी अन्य शर्तों के बारे में पूछे जाने पर और इस संबंध में एमओपीआर द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ने साक्ष्य के दौरान कहा कि:

> "सर, इस पर यह है कि हमलोगों के पास जो स्थिति बनती है, इसमें समिति के निर्देश होंगे, तो वह हम समिति को रिपोर्ट पुट-अप कर देंगे कि साहबइन-इन राज्यों में इन कमियों की वजह से इनको धन राशि रिलीज करने की संस्तुति नहीं की गई। उदाहरण के लिए, अब यह डाला गया है कि हरेक राज्य मेंड्यूलीकॉन्स्टीट्यूटेड पंचायती राज इंस्टीट्यूटशंस शुडबीइन प्लेस। जिन राज्यों में चुनाव ही नहीं हुए हैं, वहां पर हम कैसे सर्टिफाई कर सकते हैं कि यहां पर ड्यूली कॉन्स्टीट्यूटेड है। व्यावहारिक रूप में वहां पर धनराशि अवमुक्त करने में विलंब होगा, जब तक वह चुनाव नहीं करवा लेते हैं। लेकिन पिछले वर्ष को विडकेकाल में असामान्य परिस्थिति को देखते हुए सारे रूल्स को फाइनें समिनिस्ट्री ने रिलेक्स किए थे। कोविड की महामारी की वजह से वर्ष 2020-21 और 2021-22 का भी पहला इंस्टॉलमेंटस भी राज्यों को उन्होंने रिलीज किया था। अब जैसे सैकेंड इंस्टॉलमेंट मध्य प्रदेश का रिलीज होना है और मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं हुए हैं तो हम उसको सर्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि वहां पर ड्यूली कॉन्स्टीट्यूटेड पी आर आई आर इन प्लेस। जब तक वहां चुनाव नहीं होता है, तो यह फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर है कि हमारी रिकमंडेशन को वह मानेया न माने। कई बार बगैर हमारी रिकमंडेशन के भी वह जारी किया, लेकिन हम रिकमंडन हीं कर सकेंगे, क्योंकि वहां पर ड्यूली कॉन्स्टीट्यूटेड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इज नोटदेअर। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके संज्ञान में लाए और यही चीज हम ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के भी संज्ञान में लाते हैं"।

6.6 क्या राज्यों द्वारा चरणबद्ध तरीके से ई-पंचायत प्राप्त करना राज्यों की वार्षिक कार्य योजनाओं के लिए निधि जारी करने के लिए अनिवार्य बनाया जा सकता है और राज्यों को इस दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए और क्या उपाय सुझाए जा सकते हैं, मंत्रालय से पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया है की :

> "वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 14 जुलाई 2021 के प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार, पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान जारी करने के लिए पात्रता शर्तें निम्नानुसार

हैं" (i) अबद्द (अनटाइड) और बद्ध अनुदान जारी करने के लिए: अनुदान के लिए पात्र होने के लिए, आरएलबी को पिछले वर्ष के अनंतिम खातों और पिछले वर्ष के लेखा परीक्षित खातों दोनों को प्रविष्टि स्तर की शर्त के रूप में अनिवार्य रूप से ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा। हालांकि, वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए, राज्यों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पंचायती राज मंत्रालय ई-ग्राम स्वराज और ऑडिट ऑनलाइन के अलावा उन्हें उस वर्ष में पूर्ण अनुदान प्राप्त करने के लिए कम से कम 25 प्रतिशत आरएलबी के पास पिछले वर्ष के अपने अनंतिम खाते और पिछले वर्ष से पहले के वर्ष के ऑडिट किए गए खाते सार्वजनिक डोमेन में ऑनलाइन उपलब्ध हैं। वर्ष 2023-24 से सभी आरएलबी के पास पिछले वर्ष के अनंतिम खाते और पिछले वर्ष के लेखा परीक्षित खाते दोनों होने चाहिए, जो एमओपीआर ई-ग्रामस्वराज और ऑडिट ऑनलाइन के अलावा सार्वजनिक डोमेन में ऑनलाइन उपलब्ध हों, जिसमें विफल होने पर प्रो-राटा के तहत इन शर्तों का पालन करने वाले निकायों की संख्या पर निर्भर करते हुएअनुदान जारी किया जाएगा।पंचायती राज मंत्रालय सीएण्डएजी के परामर्श से ई-ग्राम स्वराज/ऑडिट ऑनलाइन में अपलोड किए जाने वाले लेखापरीक्षित और अनंतिम खातों के आवश्यक प्रारूप तैयार कर सकता है।

(ii) बद्ध (टाइड) अनुदान जारी करने के लिए: ग्रामीण स्थानीय निकायों को पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार (डीडीडब्ल्यूएस) के बद्ध (टाइड) अनुदान जारी करने के लिए निम्नलिखित व्यापक शर्तों को पूरा करने वाले संतुष्ट पात्र समझा जाएगा:-

(क) डीडीडब्ल्यूएस द्वारा निर्धारित प्रारूप में आरएलबी द्वारा स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति के लिए गांवों/ब्लॉक/जिले की वार्षिक कार्य योजना के ब्यौरे सहित ई-ग्राम स्वराज (या डीडीडब्ल्यूएस-आईएमआईएस के माध्यम से) में जीपीडीपी/बीडीपी/डीडीपी अपलोड करना/ पेयजल आपूर्ति के लिए वार्षिक कार्य योजना में शामिल होंगे: पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के ब्यौरे। स्वच्छता के लिए वार्षिक कार्य योजना में शामिल होंगे: ओडीएफ की स्थिति और रखरखाव और स्थानीय निकाय में एसएलडब्ल्यूएम हस्तक्षेपों की आयोजना और कार्यान्वयन।
(ख) वेबसाइट पर 15वें वित्त आयोग फंड [दोनों घटकों] के उपयोग के बारे में ब्यौरा अपलोड करना।

(ग) कोई अन्य शर्तें जो डीडीडब्ल्यूएस बद्ध अनुदान के घोषित उद्देश्य के संबंध में उपयुक्त समझी जा सकती हैं।"

6.7 वित्त मंत्रालय को सिफारिश करने से पहले मंत्रालय से उन पहलुओं के बारे में पूछा गया था और इन सिफारिशों की भूमिका के बारे में पूछा गया था, उसने अपने जवाब में कहा है कि:

> "वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) पर पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशानिर्देश उनके पत्र संख्या 15(2)एफसी-XV/एफसीडी/2020-25 दिनांक, 14.7.2021 के माध्यम से जारी किए गए हैं। इन परिचालन दिशानिर्देशों के पैरा 10 के अनुसार, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार संयुक्त अनुदान के लिए आरएलबी की पात्रता निर्धारित करने के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करेगा। यह निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन का आकलन करेगा और व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को अबद्ध अनुदान जारी करने की सिफारिश करेगा:
>
> (i) आरएलबी को अनुदान के लिए पात्र माना जाएगा, यदि वे विधिवत रूप से गठित हैं, अर्थात यदि संविधान का भाग IX लागू नहीं होने वाले राज्यों / क्षेत्रों को छोड़कर विधिवत निर्वाचित निकाय हैं। यदि सभी निकाय पूरी तरह से गठित नहीं हैं तो राज्य को अनुदान केवल विधिवत गठन के लिए आनुपातिक आधार पर जारी किया जाएगा।
> (ii) आरएलबी को XV वित्त आयोग अनुदान लेनदेन के लिए अनिवार्य रूप से ई-ग्राम स्वराज-पीएफएमएस पर ऑनबोर्ड करना होगा।
> (iii) पिछले वित्तीय वर्ष के लिए आरएलबी के अनंतिम खातों का कम से कम 25% ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध है।
> (iv) पिछले वित्तीय वर्ष से पहले के वर्ष के लिए आरएलबी के लेखापरीक्षित खातों का कम से कम 25% ऑडिटऑनलाइन पर उपलब्ध है। (वित्त वर्ष 2023-24 के बाद से, राज्यों को केवल उन आरएलबी के कारण कुल अनुदान प्राप्त होगा जिनके पास पिछले वर्ष के अनंतिम खाते और पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित खाते क्रमशः ई-ग्राम स्वराज और ऑडिट ऑनलाइन पर होंगे)
> (v) आरएलबी के लिए केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान का कम से कम 50% पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान हस्तांतरित किया गया है जिसका उपयोग आरएलबी द्वारा किया गया है (केवल अनुदान की दूसरी किस्त के लिए)।
> (vi) राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) का गठन करना, उनकी सिफारिशों पर कार्य करना और मार्च, 2024 को या उससे पहले राज्य विधानमंडल के समक्ष की गई कार्रवाई के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन रखना। मार्च, 2024 के बाद, उस राज्य को कोई अनुदान जारी नहीं किया जाएगा जिसने एसएफसी और इन शर्तों के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं किया है।

पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर, वित्त मंत्रालय राज्यों को XV वित्त आयोग अबद्ध अनुदान की किश्तों को जारी करने पर विचार करता है।“

6.8 राज्य वित्त आयोग के गठन से संबंधित शर्तों के अनुपालन को राज्यों द्वारा अपने अनुदान हस्तांतरण प्रमाणपत्र (जीटीसी) में प्रमाणित करना होगा, जिसे वित्त मंत्रालय को सिफारिश करने से पहले पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सत्यापित किया जाएगा। XV एफसीअनुदान जारी करना"। मंत्रालय ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया की :

“ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशानिर्देशों के पैरा 5 (क) (iii) के संदर्भ में, सभी राज्य जिन्होंने प्रासंगिक राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) का गठन नहीं किया है, उन्हें एसएफसी का गठन करना चाहिए, इस पर कार्रवाई कर मार्च, 2024 को या उससे पहले राज्य विधानमंडल के समक्ष उस पर की गई कार्रवाई के संबंध में उनकी सिफारिशें और व्याख्यात्मक ज्ञापन देना। मार्च, 2024 के बाद, उस राज्य को कोई अनुदान जारी नहीं किया जाएगा जिसने एसएफसी के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है। और अन्य शर्तें, जैसा कि बिंदु संख्या 6.7 पर उत्तर में उल्लिखित है।

पंचायती राज मंत्रालय ने फरवरी, 2021 में राज्यों को एसएफसी की आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए एक परामर्श जारी किया है, जिसके बाद मार्च, 2024 से पहले अनुपालन के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पालन किया जाएगा, जिससे यह शर्त लागू हो जाएगी।

अध्याय सात

पारदर्शी, जवाबदेह और जीवंत ग्राम पंचायत सुनिश्चित करना

सिटिज़न चार्टर

सेवाओं के मानकों, सूचना, पसंद और परामर्श, गैर-भेदभाव और पहुंच, शिकायत निवारण, शिष्टाचार और पैसे के मूल्य के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, मंत्रालय ने अपलोड करने के लिए मंच प्रदान किया है। नागरिक चार्टर https://panchayatcharter.nic.in/) दस्तावेज़ "मेरी पंचायत मेरा अधिकार, जन सेवायें हमारे द्वार" के नारे के साथ इसमें संगठन की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए नागरिक से संगठन की अपेक्षा भी समिलित है।

7.2 6 जनवरी 2022, तक 1.95 लाख ग्राम पंचायत ने अपना स्वीकृत नागरिक चार्टर अपलोड कर दिया है और नागरिकों को 921 सेवाये प्रदान कर रहे है जिनमेसे 241 सेवाये अनलाइन मोड के माध्यम से प्रदान की जाती है।

नागरिक चार्टर अभियान - राज्य वार प्रगति

क्र सं.	राज्य	तैयार नागरिक चार्टर वाले ग्राम पंचायतों की संख्या	प्रतिशत	बगैर स्वीकृत नागरिक चार्टर वाली ग्राम पंचायत	प्रतिशत
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	70	100.00%	70	100.00%
2	आंध्र प्रदेश	10660	79.72%	10394	77.74%
3	अरुणाचल प्रदेश	437	20.73%	410	19.45%
4	असम	2197	82.50%	2197	82.50%
5	बिहार	5967	72.97%	5897	72.12%
6	छत्तीसगढ़	11544	99.02%	11325	97.14%

7	गोवा	183	95.81%	181	94.76%
8	गुजरात	12197	85.55%	11915	83.57%
9	हरियाणा	6221	99.81%	6225	99.87%
10	हिमाचल प्रदेश	3595	99.45%	3598	99.53%
11	जम्मू एवं कश्मीर	0	0.00%	0	0.00%
12	झारखंड	4348	99.93%	4327	99.45%
13	कर्नाटक	3228	54.04%	3121	52.25%
14	केरल	0	0.00%	0	0.00%
15	लद्दाख	73	37.82%	70	36.27%
16	लक्षद्वीप	0	0.00%	0	0.00%
17	मध्य प्रदेश	17508	76.99%	17098	75.19%
18	महाराष्ट्र	20920	75.01%	19889	71.31%
19	मणिपुर	2490	65.32%	2433	63.82%
20	मेघालय	71	1.05%	71	1.05%
21	मिजोरम	713	85.49%	711	85.25%
22	नागालैंड	1263	98.14%	1240	96.35%
23	ओडिशा	0	0.00%	0	0.00%
24	पुदुचेरी	0	0.00%	0	0.00%
25	पंजाब	0	0.00%	0	0.00%
26	राजस्थान	0	0.00%	0	0.00%
27	सिक्किम	170	91.89%	162	87.57%
28	तमिल नाडु	10925	87.23%	10550	84.23%
29	तेलंगाना	12769	100.00%	12769	100.00%
30	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	25	65.79%	23	60.53%
31	त्रिपुरा	1169	99.24%	1126	95.59%
32	उत्तर प्रदेश	54680	93.97%	53953	92.72%
33	उत्तराखंड	7791	100.00%	7791	100.00%
34	पश्चिम बंगाल	3213	96.20%	3213	96.20%
कुल		**194427**	**72.29%**	**190759**	**70.93%**

7.3 कितनी ग्राम पंचायतों ने नागरिक चार्टर लागू किए हैं और पंचायती राज पदाधिकारियों द्वारा उनका पालन न करने के लिए दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं के बारे मे पूछे जाने पर मंत्रालय ने अपने लिखित जवाब में कहा कि:

> "2.55 लाख ग्राम पंचायतों में से 2.00 लाख ग्राम पंचायतों ने अपना नागरिक चार्टर तैयार कर लिया है, जिसमें से 1.96 लाख ग्राम पंचायतों ने ग्राम सभा के माध्यम से अपने चार्टर को मंजूरी दे दी है। पंचायत राज्य सूची में एक राज्य का

विषय है। तदनुसार, राज्य सरकार पंचायती राज पदाधिकारियों द्वारा नागरिक चार्टर कार्यान्वयन से न जुड़ने के लिए दंडात्मक प्रावधान को अनिवार्य करती है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती है।"

7.4 मंत्रालय से पूछा गया की क्या सी एस सी के पास सेवाएं प्रदान करने के लिए सिटिजन चार्टर हैं, मंत्रालय ने कमिटी को जानकारी दी है कि :

"सेवा वितरण में पंचायतों की भूमिका को सार्थक बनाने और पंचायतों में सेवाओं के वितरण को मानकीकृत करने, सेवा मानकों को निर्धारित करने, लोगों की सेवा की समय सीमा, शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र और निष्पक्ष प्रावधान नागरिकों द्वारा जांच; पंचायतों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों को लोगों के प्रति सीधे जवाबदेह बनाते हुए, मंत्रालय ने मेरी पंचायत, मेरा अधिकार- जन सेवायें हमारे द्वार के तत्वावधान में 01 जुलाई से 30 सितंबर, 2021 तक सिटीजन चार्टर अभियान शुरू किया है। अब तक, लगभग 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की 1.94 लाख ग्राम पंचायतों ने अपने नागरिक चार्टर को अंतिम रूप दे दिया है।"

7.5 जब मंत्रालय से पूछा गया की पूरे देश भर में लगभग 72 प्रतिशत पंचायतें सिटीजन चार्टर के अनुरूप कार्य कर रही है लेकिन समिति के महाराष्ट्र अध्ययन दौरे मे यह पाया गया है कि जिन ग्राम पंचायतों मे भ्रमण किया गया है । उनमें यह पाया कि सिटीजन चार्टर के अनुरूप कोई कार्य नहीं हो रहा है, मंत्रालय ने बताया है कि:

" 'पंचायत' राज्य का विषय होने के नाते, नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को परिभाषित करना और उन्हें प्रदान करना राज्यों की जिम्मेदारी है। हालाँकि, सेवा वितरण में पंचायतों की भूमिका को सार्थक बनाने के इरादे से मंत्रालय ने 01 जुलाई से 30 सितंबर, 2021 तक 'मेरी पंचायत, मेरा अधिकार-जन सेवायें हमारे द्वार' के तत्वावधान में सिटीजन चार्टर अभियान शुरू किया है। ग्राम पंचायतों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का ब्यौरा सिटीजन चार्टर पर अपलोड किया जाता है। अब तक 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की लगभग 1.94 लाख ग्राम पंचायतों ने वेबसाइट https://panchayatcharter.nic.in/ पर अपने नागरिक चार्टर को अंतिम रूप दे दिया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जानकारी अनुबंध-VIमें दी गई है।

इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, विभिन्न सरकारी मंत्रालयों/विभागों ने वितरण

चैनलों के विभिन्न माध्यमों (जैसे, सरकारी काउंटर-सरकारी कार्यालयों, वेबसाइटों, मोबाइल एप्लिकेशन और सहायक कियोस्क/काउंटर) के माध्यम से नागरिकों को ई-सेवाएं देने के लिए अनिवार्य किया है। एमईआईटीवाईने सीएससी 2.0 परियोजना के तहत नागरिकों को सेवा वितरण चैनलों में से एक के रूप में सीएससीनेटवर्क बनाया है। सरकारी मंत्रालय/विभाग सीएससी-एसपीवी के डिजिटल सेवा प्लेटफॉर्म (डीएसपी) के साथ अपनी सेवाओं को एकीकृत करने के लिए सीएससी-एसपीवी से संपर्क करते हैं।

सीएससी 2.0 परियोजना सीएससी 2.0 परियोजना के तहत सीएससी नेटवर्क के रूप में सहायता प्राप्त कियोस्क / काउंटर का निर्माण कर रही है, जो भारत सरकार से सीएससी वीएलई के लिए वित्तीय सहायता के बिना एक आत्मनिर्भर और लेनदेन आधारित सेवा वितरण मॉडल है। सीएससी वीएलई अपने स्वयं के स्थान (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, स्थिर सामग्री आदि सहित) के साथ अपना स्वयं का आईसीटी बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। इसलिए, वीएलई सीएससी चलाने के लिए कैपेक्स और ओपेक्स के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है।"

<u>ऑडिट</u>

7.6 वित्तीय प्रबंधन, पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में महत्वपूर्ण संस्थागत सुधार का समाधानकरने के लिए, मंत्रालय ने पंचायत खातों के ऑनलाइन लेखापरीक्षा करने के लिए ऑडिट ऑनलाइन अनुप्रयोग शुरू किया। एप्लिकेशन में ऑडिट पूछताछ, ड्राफ्ट स्थानीय ऑडिट रिपोर्ट, ड्राफ्ट ऑडिट पैरा आदि के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की भी परिकल्पना की गई है। अब तक, ऑडिट अवधि वर्ष 2019-20 के लिए लगभग एक लाख ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जा चुकी हैं।

7.7 पंचायती राज संस्थाओं और विभिन्न योजनाओं की नियमित लेखापरीक्षा सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा कौन से सक्रिय उपाय किए गए हैं के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि:

"पंद्रहवें वित्त आयोगने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की उपलब्धता की शर्त को पंद्रहवें वित्त आयोगअनुदानों के आहरण के लिए पात्रता शर्तों में से एक के रूप में निर्धारित किया है। तदनुसार, पंचायतीराजमंत्रालय ने पंचायत खातों की ऑनलाइन लेखापरीक्षा के लिए ऑडिटऑनलाइन नामक एक एप्लिकेशन की अवधारणा की और उसका विकास किया है। यह एप्लिकेशन अप्रैल 2020 में

पंचायतों में वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न अनिवार्य गतिविधियों के लिए केंद्रीय वित्त आयोग के फंड आदि के उपयोग में ग्रामीण स्थानीय निकायों की पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए लॉन्च किया गया था। यह एप्लिकेशन न केवल खातों की ऑडिटिंग की सुविधा प्रदान करता है बल्कि डिजिटल ऑडिट रिकॉर्ड बनाए रखने कीसुविधा भी प्रदानकरता है। इस एप्लिकेशन में ऑडिट पूछताछ, ड्राफ्ट स्थानीय ऑडिट रिपोर्ट, ड्राफ्ट ऑडिट पैरा आदि के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना शामिल है।"

7.8 क्या मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं की नियमित लेखापरीक्षा की जा रही है, विभिन्न योजनाओं के संबंध में क्या टिप्पणियां हैं, क्या कुछ लेखापरीक्षा विसंगतियां थीं, क्या कार्रवाई की गई के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि:

" लेखापरीक्षा महानिदेशक के कार्यालय ने अद्यतन वित्तीय वर्ष 2018-19 और वर्ष2019-20 के लिए योजना के साथ-साथ गैर-योजना के लिए भी मंत्रालय की वार्षिक लेखा परीक्षा आयोजित की है, जिसकी रिपोर्ट प्रतीक्षित है।"

7.9 क्या लेखापरीक्षा रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में रखी जाती है के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि:

"जीहां, वित्तीय वर्ष 2016-17 और वर्ष2017-18 के लिए लेखा परीक्षित लेखापरीक्षा रिपोर्ट मंत्रालय की वेबसाइट (https://www.panchayat.gov.in)पर अपलोड की गई हैं। "

7.10 संबंधित राज्यों द्वारा लेखा परीक्षा के क्या प्रावधान हैं के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि:

"आरजीएसए स्कीम के खातों का लेखा परीक्षण संबंधित पंचायती राज विभागों द्वारा उनके विभागीय निर्देशों, नियमों आदि के अनुसार प्रमाणित लेखापरीक्षकों/एजेंसियों जैसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी)/राज्य स्थानीय लेखा परीक्षा/चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के कार्यालय के माध्यम से किया जा रहा है। योजना के कार्यान्वयन ढांचे के अनुसार आरजीएसए स्कीम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। केंद्र प्रायोजित योजना के तहत निधियों को जारी करने को विनियमित करने वाले वित्त मंत्रालय निर्देशों के अनुपालन पर,पिछले वर्ष के अनंतिम उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) और उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) लेखें प्रस्तुत करने सहित अपेक्षित दस्तावेजों और पिछले वर्ष से पहले वर्ष के लेखा परीक्षित विवरण सहित आवश्यक दस्तावेज जमा करना

पंचायतों के खातों की लेखापरीक्षा के लिए राज्यों द्वारा अपनाई जाने वाली

लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं/नियमों को ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं/आवश्यकताओं को लेखापरीक्षा ऑनलाइन में शामिल किया जाता है। अधिकांश राज्यों में, पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा (डीएलएफए) द्वारा ऑडिटऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाती है, पश्चिम बंगाल को छोड़कर जहां यह लेखा परीक्षा राज्य महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।"

7.11 क्या राज्यों द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रति मंत्रालय को प्रस्तुत की जाती है और ऐसी रिपोर्टों पर मंत्रालय द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि:

"आरजीएसए की योजना के तहत धनराशि पिछले वर्ष से पहले वर्ष के लेखा परीक्षित विवरण सहित आवश्यक दस्तावेज जमा करने पर जारी की जाती है।
जहां तक पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्ट का संबंध है, चूंकि पंचायतों की लेखापरीक्षा राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती है, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रति पंचायती राज मंत्रालय को प्रस्तुत नहीं की जाती है।"

लेखापरीक्षाअवधि2019-20केलिएलेखापरीक्षाऑनलाइनपरराज्यवारप्रगति

क्र.सं	राज्य का नाम	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	लेखापरीक्षित पंजीकृत		लेखापरीक्षा योजनाओं के साथ ग्राम पंचायतें		लेखापरीक्षा रिपोर्ट उत्पन्न (ऑडिट पूर्ण)	
		नहीं	नहीं	%	नहीं	%	नहीं	%
1	**आंध्र प्रदेश**	13,371	12,796	96%	4,406	33%	4,037	30%
2	अरुणाचल प्रदेश	1,785	89	5%	2	0%	0	0%
3	**असम**	2,197	2,195	100%	669	30%	563	26%
4	**बिहार**	8,387	8,387	100%	2,160	26%	2,136	25%
5	**छत्तीसगढ़**	11,664	8,412	72%	2,922	25%	2,913	25%
6	**गोवा**	191	49	26%	48	25%	48	25%
7	**गुजरात**	14,308	12,397	87%	3,710	26%	3,676	26%
8	**हरियाणा**	6,197	6,197	100%	1,621	26%	1,538	25%
9	**हिमाचल प्रदेश**	3,226	3,226	100%	861	27%	823	26%
10	**जम्मू और कश्मीर**	4,289	2,759	64%	1,519	35%	1,095	26%
1 1	**झारखंड**	4,359	4,351	100%	2,348	54%	1,855	43%
12	**कर्नाटक**	6,008	6,008	100%	1,880	31%	1,741	29%
13	**केरल**	941	941	100%	689	73%	451	48%
14	**मध्य प्रदेश**	22,812	22,768	100%	7,141	31%	5,904	26%
15	**महाराष्ट्र**	27,879	27,660	99%	11,960	43%	8,350	30%

क्र.सं	राज्य का नाम	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	लेखापरीक्षित पंजीकृत		लेखापरीक्षा योजनाओं के साथ ग्राम पंचायतें		लेखापरीक्षा रिपोर्ट उत्पन्न (ऑडिट पूर्ण)	
16	**मणिपुर**	161	71	44%	42	26%	40	25%
17	**ओडिशा**	6,798	6,776	100%	1,761	26%	1,727	25%
18	**पंजाब**	13,263	13,251	100%	5,299	40%	3,359	25%
19	**राजस्थान**	11,341	11,335	100%	4,899	43%	4,058	36%
20	**सिक्किम**	185	184	99%	52	28%	47	25%
21	**तमिलनाडु**	12,525	12,509	100%	6,616	53%	5,258	42%
22	**तेलंगाना**	12,769	12,769	100%	5,156	40%	5,132	40%
23	**त्रिपुरा**	591	591	100%	150	25%	150	25%
24	**उत्तर प्रदेश**	58,766	58,766	100%	57,680	98%	43,999	75%
25	**उत्तराखंड**	7,791	7,610	98%	3,360	43%	2,214	28%
26	**पश्चिम बंगाल**	3,340	2,514	75%	1,010	30%	882	26%
	कुल	**2,55,144**	**2,44,611**	**96%**	**1,27,961**	**50%**	**1,01,996**	**40%**

ऑडिट अवधि 2020-21 के लिए ऑडिटऑनलाइन पर राज्यवार प्रगति

दिनांक: 31.01.2022तक

क्र.सं	राज्य का नाम	जीपी की कुल संख्या	लेखापरीक्षित पंजीकृत		लेखापरीक्षा योजनाओं के साथ ग्राम पंचायतें		उत्पन्न लेखापरीक्षा रिपोर्ट (लेखापरीक्षा पूर्ण)	
		नहीं	नहीं	%	नहीं	%	नहीं	%
		13,371	12,795	96%	13,181	99%	10,616	79%
1	आंध्र प्रदेश	2,108	89	4%	31	1%	-	0%
2	अरुणाचल प्रदेश	2,197	2,195	100%	2,031	92%	22	1%
3	असम	8,177	8,177	100%	967	12%	93	1%
4	बिहार	11,658	8,407	72%	2,338	20%	1,547	13%
5	छत्तीसगढ़	191	49	26%	-	0%	-	0%
6	गोवा	14,257	12,397	87%	2,946	21%	791	6%
7	गुजरात	6,233	6,2	100	-	0%	-	0%

क्र.सं	राज्य का नाम	जीपी की कुल संख्या	लेखापरीक्षित पंजीकृत		लेखापरीक्षा योजनाओं के साथ ग्राम पंचायतें		उत्पन्न लेखापरीक्षा रिपोर्ट (लेखापरीक्षा पूर्ण)	
		नहीं	नहीं	%	नहीं	%	नहीं	%
			17	%				
8	हरियाणा	3,615	3,229	89 %	1,684	47%	1,409	39%
9	हिमाचल प्रदेश	4,290	2,759	64 %	2,617	61%	687	16%
10	जम्मू एवं कश्मीर	4,351	4,351	100 %	150	3%	-	0%
1 1	झारखंड	5,973	5,973	100 %	4,743	79%	2,747	46%
12	कर्नाटक	941	941	100 %	466	50%	227	24%
13	केरल	22,741	22,741	100 %	4,964	22%	351	2%
14	मध्य प्रदेश	27,891	27,660	99 %	9,943	36%	1,548	6%
15	महाराष्ट्र	161	71	44 %	-	0%	-	0%
16	मणिपुर	-	-	-	-	-	-	-
17	मेघालय	834	656	79 %	-	0%	-	0%
18	मिजोरम	-	-	-	-	-	-	-
19	नागालैंड	6,798	6,776	100 %	6,771	100%	5,920	87%
20	उड़ीसा	13,263	13,251	100 %	2,011	15%	586	4%
21	पंजाब	11,341	11,335	100 %	5,985	53%	2,937	26%
22		185	184	99 %	120	65%	70	38%
23	सिक्किम	12,525	12,509	100 %	11,837	95%	11,547	92%
24	तमिलनाडु	12,769	12,769	100 %	12,769	100%	12,769	100%
25	तेलंगाना	1,178	591	50 %	322	27%	237	20%

क्र.सं	राज्य का नाम	जीपी की कुल संख्या	लेखापरीक्षित पंजीकृत		लेखापरीक्षा योजनाओं के साथ ग्राम पंचायतें		उत्पन्न लेखापरीक्षा रिपोर्ट (लेखापरीक्षा पूर्ण)	
		नहीं	नहीं	%	नहीं	%	नहीं	%
26	त्रिपुरा	58,189	58,189	100 %	47,471	82%	732	1%
27	उत्तर प्रदेश	7,791	7,610	98 %	-	0%	-	0%
28	उत्तराखंड	3,340	2,514	75 %	60	2%	-	0%
29	पश्चिम बंगाल	**2,56,368**	**2,44,435**	**95 %**	**1,33,407**	**52%**	**54,836**	**21%**
	कुल योग							

7.12 कितनी ग्राम पंचायतों ने पंचायती राज मंत्रालय के ऑडिट ऑनलाइन अनुप्रयोग द्वारा अपने वार्षिक खातों की लेखा परीक्षा की है और इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने अपने उत्तर में निम्नवत बताया:

> "अनुच्छेद 243जे के अनुसार पंचायतों के लेखों की लेखापरीक्षा राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आती है। राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा, पंचायतों द्वारा खातों के रखरखाव और ऐसे खातों की लेखापरीक्षा के संबंध में प्रावधान कर सकता है। यह ध्यान में रखते हुए कि XVवें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अपनी अंतरिम रिपोर्ट में पंचायतों की वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार एजेंडा के रूप में, पंचायती राज संस्थाओं के लेखा परीक्षित खातों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया, पंचायती मंत्रालय राज ने पंचायत खातों के ऑनलाइन ऑडिट के लिए ऑडिटऑनलाइन नामक एक एप्लिकेशन की अवधारणा और विकास किया। इसे अप्रैल, 2020 में पंचायतों / आरएलबी के खातों की लेखा परीक्षा की सुविधा के लिए शुरू किया गया था ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य विकास गतिविधियों के लिए केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान आदि के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
>
> ऑडिटऑनलाइन में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जिन ग्राम पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा की गई है, उनकी संख्या 1,05,039 (2.3.2022 तक) है और ऑडिटऑनलाइन में

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जिन ग्राम पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा की गई है, उनकी संख्या 70,867 है (दिनांक 2.3.2022 की स्थिति के अनुसार)। ऑडिटऑनलाइन के माध्यम से आरएलबी की लेखापरीक्षा की आवश्यकता को समीक्षा बैठकों और चर्चाओं के माध्यम से राज्यों के साथ पंचायती राज मंत्रालय द्वारा निरंतर आधार पर पालन किया जाता है।

लेखा परीक्षा के प्रति राज्यों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अंतिम उपयोगकर्ताओं, अर्थात् राज्य निदेशालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा इकाइयों के लेखा परीक्षकों को कई ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र प्रदान किए गए थे। राज्य पंचायती राज विभागों और राज्य स्थानीय निधि लेखा परीक्षकों के अनुरोध के अनुसार, वर्ष 2020-21 के दौरान, ऑडिटऑनलाइन पर राज्यों को 39 ऑनलाइन/आभासी प्रशिक्षण प्रदान किए गए। साथ ही, वीडियो ट्यूटोरियल (अंग्रेजी और हिंदी दोनों में) तैयार किए गए और राज्यों के साथ साझा किए गए। ऑनलाइन ऑडिट के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी), अनुप्रयोग की विभिन्न विशेषताओं को उजागर करते हुए भी विकसित की गई और सभी राज्यों को उपलब्ध कराई गई। निर्धारित समय सीमा के भीतर इस लक्ष्य को पहली बार प्राप्त करने के लिए तेलंगाना राज्य को राष्ट्रीय अग्रणी राज्य के रूप में पहचाना गया था। तेलंगाना के राज्य लेखापरीक्षा विभाग से अन्य राज्य लेखापरीक्षा विभागों/निदेशालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा को सहायता प्रदान करने का भी अनुरोध किया गया था।"

7.13 एफएफसी अनुदानों के हस्तांतरण और उन अनुदानों की लेखापरीक्षा में पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय मौखिक साक्ष्य के दौरान कहा है कि:

"सर, इसमें दो-तीन चीजें हैं। फाइनेंस मंत्रालय जो धनराशि रिलीज करती है, वह स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जाती है। उसके बाद राज्य सरकार से 10 या 14 कार्य दिवसों के भी तरवह धनराशि पंचायतों को स्थानान्तरित हो जानी चाहिए। अगर वह 10 दिन के अंदर नहीं हुआ, तो जितना विलम्ब होता है, उसका इंट्रेस्ट उनको जमा करना पड़ता है। इसके बाद जब वह ट्रांसफर हो जाती है, तो उसका यूसी स्टेटगवर्नमेंट के पंचायती राजविभाग के अधिकारियों द्वारा साइन होकर हमारे पास आता है। यह देखना कि वह समय से गया या नहीं, जो भी कंडीशन्स वित्तमंत्रालय अपने गाइडलाइन्स में डालता है, उस कन्डीशन्स का पालन हुआ या नहीं, इसकी संस्तुति करना पंचायती राज मंत्रालय का काम होता है।

सर, मैं बताना चाहता हूं कि 15वें वित्तआयोग से इसको अनिवार्य किया गया। वर्ष-2020 में हमने ऑनलाइन ऑडिट की व्यवस्था को जारी किया, क्योंकि वर्ष-2020 का जो ऑडिट हो रहा है उसमें हमने आपको बताया कि 65 हजार ग्राम पंचायतों का ऑडिट हो गया है। अब समिति किसी भी राज्य में जाना चाहेगी, तो वहां की पंचायतों तथा सैंपल डिस्ट्रिक्ट्सकी ऑडिट रिपोर्ट क्या हैं, उनको यहीं से आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी।"

7.14 कितनी ग्राम पंचायतों ने अपने खातों की लेखा परीक्षा के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा लागू किया है के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने अपने उत्तर में निम्नवत बताया:

> "चौदहवें वित्त आयोग अनुदानों में से कार्यों/गतिविधियों की सामाजिक अंकेक्षण झारखंड (1500 ग्राम पंचायत), मध्य प्रदेश (763 ग्राम पंचायत) और कर्नाटक (5446 ग्राम पंचायत) में किया गया है।पंचायती राज मंत्रालय ने एनआईआरडीपीआर की सहायता से ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान उपयोग की सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए दिशा-निर्देश भी तैयार किए हैं और वित्तीय वर्ष 2021-22 में आरएलबी द्वारा XVवें एफसी अनुदान के साथ पहले से किए गए कार्यों/गतिविधियों की सामाजिक लेखापरीक्षा करने के लिए राज्यों को सूचित किया है।"

भाग-दो

सिफारिशें/टिप्पणियां

अनुदानों की मांगें (2022-23)

समिति यह नोट करती है कि पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2022-23) 04 फरवरी, 2022 को सभा पटल पर रखी गई थी जिसके तहत् वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 868.57 करोड़ रूपए की मांग की गई थी। समिति ने इसकी जांच की है और उनकी टिप्पणियां/सिफारिशें आगामी पैराओं में दी गई हैं।

1. समिति ने पंचायती राज मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत वर्ष-वार आबंटित और जारी की गई धनराशि की जांच करते हुए पाया कि वर्ष 2020-21 में 900.94 करोड़ रूपए के बजट प्राक्कलन की तुलना में 690.00 करोड़ रूपए आबंटित किए गए। इसी प्रकार से 2021-22 में सं.अ. चरण में 913.43 करोड़ रूपए के बजट प्राक्कलन की तुलना में 868.38 करोड़ रूपए आबंटित किए गए। सं.अ. चरण में आबंटित निधियों में भारी कमी किए जाने के मुद्दे पर पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि वित्त मंत्रालय ने ब.प्रा. में कटौती की है और सं.अ. चरण में कम धनराशि आबंटित की है। साक्ष्य के दौरान, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ने भी समान बातें ही कही हैं। यहां पर यह बताना आवश्यक है कि बजटीय आबंटन में भारी कटौती से मंत्रालय आरजीएसए और स्वामित्व जैसी योजनाओं का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन नहीं कर पाएगा और ये योजनाएं पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। अत: पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता निर्माण और ग्रामीण विकास हेतु इनके लिए पर्याप्त आबंटन किया जाना अनिवार्य है। समिति का मानना है कि वर्ष 2022-23 हेतु आरजीएसए के लिए 593 करोड़ रूपए सहित 868.57 करोड़ रूपए का ब.अ. उनके प्रस्तावों के हिसाब से कम लगता है। पर्याप्त निधियों के न होने पर मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजनाओं/कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अत: समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि पंचायती राज मंत्रालय को इस मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उठाना चाहिए ताकि मंत्रालय की प्रस्तावित आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त निधियां आबंटित की जा सकें। साथ ही, समिति यह भी सिफारिश करती है कि इस तथ्य के दृष्टिगत कि मंत्रालय को लाखों पंचायतों के लिए कम बजट आबंटित किया जाता है, वर्ष 2022-23 के दौरान पंचायती राज मंत्रालय के

व्यय में कटौती का प्रस्ताव न किया जाए। समिति चाहती है कि उसे इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए।

(सिफारिश क्रम सं. 1)

2. **समिति यह नोट करती है कि वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में संशोधित अनुमान चरण में वित्त मंत्रालय द्वारा कटौती किए जाने के कारण पंचायती राज मंत्रालय ब.अ. चरण में ली गई धनराशि वापस की है। हालांकि, समिति यह बात गंभीरता से नोट करती है कि मंत्रालय सं.अ. चरण में स्वीकृत राशि का उपयोग नहीं कर पाया और उसने 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में क्रमश: 30.08 करोड़ रूपए, 1.74 करोड़ रूपए और 2.93 करोड़ रूपए वापस किए हैं । यह दर्शाता है कि मंत्रालय ने लापरवाही बरती है और समुचित कार्य योजना नहीं बनाई है क्योंकि यह सं.अ. चरण में इसे आबंटित की गई निधियों का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाया है। ये सभी तथ्य मंत्रालय को आबंटित सीमित धनराशि का उपयोग न किए जाने के उनके खराब प्रदर्शन को दर्शाते हैं। अत: समिति का यह मानना है कि मंत्रालय तब तक अपनी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि विभाग द्वारा निधियों का इष्टतम और प्रभावी उपयोग न किया जाए। अत: समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय को 2022-23 की अनुदानों की मांगों में उनके द्वारा दिए गए शीर्षो के अंतर्गत निधियों का उपयोग करने के लिए भरसक प्रयास करने चाहिए जिससे कि थोड़ी सी भी अप्रयुक्त धनराशि वापस न लौटानी पड़े। समिति चाहती है कि उसे इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए।**

(सिफारिश क्रम सं. 2)

<u>राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)</u>

3. **राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) पंचायती राज मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य मुख्यत: मिशन अंत्योदय का समावेशन और 117 आकांक्षी जिलों में पीआरआई के सुदृढ़ीकरण पर बल देते हुए पीआरआई को मजबूत बनाना है ताकि सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। समिति यह नोट करती है कि योजना में राज्य और केन्द्रीय घटक दोनों शामिल होते हैं। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर इसका शेयरिंग पैटर्न 60:40 है।**

उक्त में केन्द्र और राज्य का अनुपात 90:10 है। अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में यह शत-प्रतिशत केन्द्र द्वारा वित्त-पोषित है। केन्द्रीय घटक शत-प्रतिशत केनद्र द्वारा वित्त-पोषित होता है। तथापि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों के विश्लेषण से योजना के उद्दश्यों के प्रति उदासीनता परिलक्षित होती है। इस योजना के अंतर्गत जारी की गई निधियों और अनुमोदित योजनाओं में भारी अंतर है। मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2019-20 में अनुमोदित 3213.13 करोड़ रूपए की तुलना में 432.90 करोड़ रूपए, 2020-21 में 3337.87 करोड़ रूपए की अनुमोदित राशि की तुलना में 499.93 करोड़ रूपए और 2021-22 में 4480.22 करोड़ रूपए की अनुमोदित राशि की तुलना में 518.06 करोड़ रूपए जारी किए गए। समिति यह नोट कर चिंतित है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा वार्षिक कार्य योजनाओं को अनुमोदन मिलने के पश्चात स्वीकृत निधियों को जारी न किए जाने/समय पर जारी न किए जाने से पंचायती राज संस्थानों को जमीनी स्तर के दक्ष, प्रभावी और पारदर्शी संस्थान बनाने का आरजीएसए का प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है। समिति को बताया गया है कि मंत्रालय ने पाया है कि राज्यों द्वारा निधियां जारी किए जाने की शर्तों (राज्यों द्वारा संगत हिस्सा जारी न किया जाना भी एक कारण है) को पूरा करने में लापरवाही बरती जाती है या फिर वे ऐसा करने के अनिच्छुक होते हैं जिसके कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करने में विलम्ब होता है अथवा उन्हें निधियां जारी नहीं की जाती हैं। तथापि समिति यह नोट करती है कि मंत्रालय ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों जैसे संघ राज्य क्षेत्र को 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में भी निधियां जारी नहीं की हैं। वर्तमान परिदृश्य में समिति यह पाती है कि आरजीएसए के लिए ली गई निधियों का अत्यधिक कम उपयोग किया गया है। योजना के महत्व को देखते हुए समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय को आरजीएसए के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों की संख्या कम करते हुए कागजी कार्यवाही को सरल बनाने हेतु सक्रिय उपाय करने चाहिए और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करने की प्रक्रिया को और आसान बनाना चाहिए। समिति की दृढ़ राय है कि आरजीएसए के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय को उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और पर्याप्त निधियां जारी करने के लिए सक्रिय उपाय करने चाहिए। समिति को बताया गया है कि आरजीएसए योजना एक मांग आधारित योजना है और

इस हेतु निधियां जारी किया जाना वार्षिक कार्य योजनाओं को समय पर प्रस्तुत करने, अप्रयुक्त धनराशि का उपयोग करने, अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपना हिस्सा जारी करने आदि पर निर्भर करता है। समिति की राय है कि आरजीएसए को आगे बढ़ाए जाने में कई सुधार अपेक्षित हैं। इनमें से एक स्थानीय संसद सदस्यों की सक्रिय भागीदारी है। यहां पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि संसद सदस्य जन-प्रतिनिधि होते हैं और वे अपने क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकताओं को भली-भांति जानते हैं। यही नहीं वे नीति-निर्माण हेतु स्थानीय आवश्यकताओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध करा सकते हैं। पंचायती राज मंत्रालय के कार्यक्रमों/योजनाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी से ये कार्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रभावी होंगे । समिति चाहती है कि उसे इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

(सिफारिश क्रम सं. 3)

4. आरजीएसए पंचायती राज संस्थाओं का कायाकल्प करने के लिए बनाई गई योजना है। इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का साधन बनाना है। तथापि विभिन्न कारणों से योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत धनराशि जारी न किए जाने के कारण पंचायतों के कार्यकरण में सुधार करने का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। साक्ष्य के दौरान पंचायती राज मंत्रालय के सचिव ने समिति को बताया कि पंचायती राज मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से आरजीएसए को केन्द्रीय क्षेत्र की योजना बनाने की अनुरोध किया था। लेकिन, वित्त मंत्रालय ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। इस संबंध में आरजीएसए को केन्द्रीय क्षेत्र की योजना बनाए जाने से यह केन्द्र सरकार से शत-प्रतिशत वित्त-पोषण हेतु पात्र हो जाएगी और इसके लिए राज्य का संगत हिस्सा जारी किए बगैर निधियां जारी कर दी जाएंगी। इससे तत्काल और सरलता से निधियां जारी की जा सकेंगी। इससे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता निर्माण हेतु निधियों का उपयोग कर सकेंगे। राज्यों द्वारा इन निधियों का उपयोग पीआरआई को दक्ष और प्रभावी संस्थान बनाने के लिए किया जा सकेगा। अत: समिति यह सिफारिश करती है कि आरजीएसए को केन्द्रीय क्षेत्र की योजना बना दिया जाए। पंचायती राज मंत्रालय को सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त

करने में आरजीएसए की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए इस मामले को वित्त मंत्रालय के साथ तत्परता से उठाना चाहिए और उनसे इस योजना को केन्द्रीय क्षेत्र की योजना बनाने की संभावनाओं को तलाशने के लिए कहना चाहिए। समिति चाहती है कि उसे इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए।

(सिफारिश क्रम सं. 4)

5. **पुनर्गठित आरजीएसए योजना का उद्देश्य पीआरआई का क्षमता निर्माण करना है। इस योजना के अंतर्गत पंचायती राज मंत्रालय राज्य के प्रयासों में आरजीएसए के माध्यम से सीमित पैमाने पर सहयोग करता है। समिति यह नोट करती है कि मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया है कि 271179 ग्राम पंचायतों/पारंपरिक निकायों में से लगभग 50917 ग्राम पंचायतों/पारंपरिक निकायों का ग्राम पंचायत भवन नहीं है। समिति की राय है कि ग्राम पंचायतों के सहभागितापूर्ण लोकतंत्र के प्रभावी साधन के रूप में कार्य करने के लिए ग्राम पंचायत भवन मूलभूत अवसंरचनात्मक आवश्यकता है। लेकिन, समिति को यह नोट कर खेद है कि अभी भी कई ग्राम पंचायतें पंचायत भवन जैसी बुनियादी अवसंरचना के बिना कार्य कर रही हैं। समिति ने बार-बार पंचायत भवनों का निर्माण करने की आवश्यकता पर बल दिया है और इसलिए यह सिफारिश करती है कि उन ग्राम पंचायतों जो बिना भवन के कार्य कर रही हैं, में पंचायत भवनों के निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। परियोजना के महत्व को देखते हुए समिति दृढ़ता से यह सिफारिश करती है कि शेष गांवों में पंचायत भवन के निर्माण के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए रोडमैप तैयार किया जाना चाहिए और पर्याप्त निधियां आबंटित की जानी चाहिए तथा साथ ही साथ इस संबंध में नियमित निगरानी भी की जानी चाहिए। समिति चाहती है उसे इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए।**

(सिफारिश क्रम सं. 5)

<u>ग्राम पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण</u>

6. **पंचायती राज मंत्रालय वर्ष 2011 से सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाली पंचायतों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पंचायत प्रोत्साहनीकरण योजना के अंतर्गत निर्धारित मूल्यांकन मानदंडों/मानकों के आधार पर प्रोत्साहन दे रहा है। यह पंचायतों को उनके द्वारा की गई पहलों और उपलब्धियों के लिए निर्धारित मानदंडों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में**

पुरस्कार प्रदान करता है। ग्राम पंचायतों द्वारा की गई पहलों और उनकी उपलब्धियों का समुचित प्रचार किया जाना चाहिए ताकि अन्य ग्राम पंचायतें भी समान पहल करने के लिए प्रोत्साहित हों। इससे ग्राम पंचायतों में भी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास होगा। अतः, समिति यह सिफारिश करती है कि ग्राम पंचायतों की सर्वोत्तम पद्धतियों और पहलों संबंधी जानकारी का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए जिससे कि अन्य ग्राम पंचायतें उनका अनुसरण करें। समिति चाहती है कि उसे इस संबंध में की गई प्रगति से अवगत कराया जाए। समिति यह नोट कर क्षुब्ध है कि पंचायतों को सेवा और सामान प्रदायगी में सुधार करने हेतु किए गए अच्छे कार्य के लिए पंचायतों को प्रोत्साहन के लिए दी जाने वाली निधियों में बढ़ोतरी नहीं की गई है। पुरस्कारों की संख्या में भी पिछले तीन वर्षों में लगभग थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है अर्थात् 2020-21 से इसे 4700 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 50.00 करोड़ रूपए कर दिया गया है जबकि व्यय लगभग पूरा हुआ है। अतः, समिति का मानना है कि इस योजना के तहत् दी जाने वाली राशि पंचायतों को दिए जाने वाले पुरस्कारों की संख्या में बढ़ोतरी के अनुरूप संशोधित की जाए।

(सिफारिश क्रम सं 6)

<u>ई-पंचायत में मिशन मोड</u>

7. ई-पंचायत भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपी) में से एक है जिसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के कार्यकरण में बदलाव करना है, ताकि उन्हें विकेंद्रीकृत स्थानीय स्व-शासनों के अत्याधुनिक भाग के रूप में अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाया जा सके। तथापि, समिति यह नोट करके चिंतित है कि ई-ग्राम पंचायतों और अन्य अनुप्रयोगों के माध्यम से पंचायत कार्य के स्वचालन के उद्देश्य से ई-पंचायतों में मिशन मोड की सबसे प्रमुख योजना के लिए निधि में 2018-19 से 2022-23 तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है अर्थात यह 20.00 करोड़ रुपये ही रखा गया है । यही नहीं, इन कम निधियों को और कम कर दिया गया है जिससे उपयोग कम हो गया है। समिति नोट करती है कि 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में 20.00 करोड़ रुपये, 15.50 करोड़ रुपये, 20.00 करोड़ रुपये और 20.00 करोड़ रुपये के बीई की तुलना में, आरई चरण में कटौती करके क्रमशः 11.91 करोड़ रुपये, 7.5 करोड़ रुपये,

17.82 करोड़ रुपये और 11.71 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। समिति यह मानती है कि जमीनी स्तर से कम रिस्पॉन्स मिलने से आरई स्तर पर कटौती से योजना का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इस संबंध में, पंचायती राज मंत्रालय ने समिति को यह समझाने का प्रयास किया है कि वर्तमान में 2.61 लाख पीआरआई ने 2021-22 के लिए अपनी पंचायत विकास योजनाएं तैयार की हैं और 2.19 लाख जीपी ई-ग्राम स्वराज पीएफएमएस इंटर फेस पर शामिल हुए हैं और 1.81 लाख जीपी ने ऑनलाइन लेनदेन किया है। समिति का मानना है कि पंचायती राज संस्थाओं के पूर्ण स्वचालन के लिए पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त निधियां यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाएं। समिति का यह विचार है कि संशोधित स्तर पर वर्ष-दर-वर्ष बजटीय राशि में कटौती से यह लगता है कि या तो पंचायतों के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजना त्रुटिपूर्ण है या वित्त मंत्रालय ग्राम पंचायतों के क्षमता निर्माण जिसका उद्देश्य डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत के ग्रामीणों को सहज ढंग से दस्तावेज सुलभ करना है, में वृद्धि करने के लिए गंभीर नहीं है।

(सिफारिश क्रम सं. 7)

<u>ग्राम पंचायतों का डिजिटलीकरण</u>

8. समिति की जांच से यह पता चला कि अगस्त, 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के स्तंभ 3 के अंतर्गत, भारत सरकार 'कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) 2 परियोजना' शुरू की जिससे देश भर में सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) तक सी एस सी की पहुंच का विस्तार हो सके और जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक सीएससी स्थापित करना है, जिसमें चार वर्षों की अवधि में दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शनों से जोड़ने के लिए देश के सभी जीपी को कवर करते हुए 255 लाख सीएससी स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। मंत्रालय स्मार्ट गवर्नेंस और ऑनलाइन सेवाओं के प्रावधान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) को बढ़ाना चाहती है। इसने 21 अगस्त, 2019 को इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सीएससी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि सीएससी ग्राम पंचायत भवनों में ही स्थापित होंगे और ग्रामीण जनता को विभिन्न जी*2*जी, बी*2*बी और बी*2*सी सेवाएं प्रदान करेंगे। तथापि, समिति अगस्त, 2021

में महाराष्ट्र राज्य (अमरावती, चंद्रपुर और नागपुर) के अपने अध्ययन दौरे के दौरान सीएससी के कार्यकरण में अनियमितताओं को नोट करके चिंतित है। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह पाया कि अधिकांश सीएससी को ग्राम पंचायतों में एक स्थान पर स्थापित नहीं किया गया था, पंचायत भवन में तैनात इंटरनेट अवसंरचना कार्य नहीं कर रही थी, सीएससी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में लोगों को सूचना प्रदान करने के लिए बाहर कोई बोर्ड नहीं लगाया गया था और यह स्पष्ट नहीं था कि किन दरों पर मासिक आधार पर 10 से 15 दस्तावेज जारी किए जा रहे थे, प्रचालक को वेतन भुगतान में विलंब हो रहा था आदि। इसके अलावा, मोटे तौर पर गणना करने पर, यह पाया गया कि सीएससी केंद्र पर एक प्रिंट आउट की कीमत 3,682/- रुपये है। समिति इस बात से चकित थी कि पंचायती राज मंत्रालय उपर्युक्त जमीनी वास्तविकताओं से पूरी तरह से अनजान था। 'पंचायतों' का राज्य विषय होने के बावजूद उन्होंने औपचारिक स्वतंत्र जांच करके राज्य स्तर पर वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए प्रयास नहीं किए और सीएससी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों और तथ्यों पर ही भरोसा किया है। अतः, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि ग्राम पंचायत भवनों में एक स्थान पर स्थापित सीएससी के कार्यकरण, जिसका भुगतान सरकारी राजकोष से किया जा रहा है, की गहन जांच करने के अधिदेश के साथ एक उच्च स्तरीय कार्यबल का गठन किया जाए। यह पता लगाया जाए कि समझौता ज्ञापन में निहित उद्देश्यों को प्राप्त करने में यह कितना सक्षम रहा है। समिति यह भी चाहती कि कार्यबल विभिन्न राज्यों में अपनाए जा रहे विभिन्न मॉडलों को समझे और डिजिटल पंचायतों के निर्माण के लिए एक संभावित किफायती विकल्प निकाले। समिति को विश्वास और आशा है कि कार्यबल सीएससी द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का गहन और स्वतंत्र अध्ययन करेगा और प्रतिवेदन प्रस्तुत होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। समिति इस संबंध में मंत्रालय द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों से अवगत होना चाहेगी।

(सिफारिश क्रम सं 8)

9. समिति ने नोट किया कि सचिव, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों के प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज को दिनांक 03 सितंबर, 2019 को एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें पंचायती राज मंत्रालय और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच

दिनांक 21 अगस्त 2019 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का संदर्भ दिया गया और सभी राज्यों को स्मार्ट गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया आदि के लिए अपनी सेवाओं का उपयोग करने के लिए सीएससी-एसपीवी के साथ समझौता ज्ञापन करने की सलाह दी गई थी।आगे, इस प्रयोजनार्थ, राज्य विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को प्रदान की गई निधियों का उपयोग कर सकते हैं जो ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध हैं जैसे आरजीएसए के अंतर्गत कंप्यूटरीकरण, तकनीकी मानव संसाधन की तैनाती, प्रचालन एवं अनुरक्षण अनुदान के पन्द्रहवें वित्त आयोग (एफएफसी) का घटक (10%)। तीन राज्यों अर्थात मध्य प्रदेश और उत्तराखंड ने सीएससी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और महाराष्ट्र ने 17 नवंबर 2016 को सीएससी के साथ हस्ताक्षरित अपने पहले के समझौता ज्ञापन का विस्तार किया। साक्ष्य के दौरान, सचिव, एमओपीआर ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि कार्यक्रम की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है और अनुभव अच्छा नहीं रहा है। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि सीएससी-एसपीवी द्वारा मध्य प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के साथ किए गए समझौता ज्ञापन को विभिन्न कारणों से शुरू नहीं किया गया है और उत्तर प्रदेश ने सीएससी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है और सीएससी द्वारा प्रदान किए जाने वाले सेवाओं की उच्च लागत के कारण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। समिति ने महाराष्ट्र के अपनी अध्ययन दौरे के दौरान भी सीएससी के कार्यकरण में अनियमितताएं पाई । साक्ष्य के दौरान, सचिव ने समिति को यह भी बताया कि हाल ही में, महाराष्ट्र राज्य से भी कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने आगे बताया कि वास्तव में, ग्राम पंचायत भवन में एक-चौथाई सीएससी भी सह स्थापित नहीं किए गए अर्थात पूरे भारत में 50,000 से भी कम और अधिकांश सीएससी निजी केंद्रों से काम कर रहे हैं। उन्होंने समिति को आगे आश्वस्त किया कि मंत्रालय तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाने के लिए इस पूरी प्रक्रिया पर पुनः विचार करेगा। साक्ष्य के दौरान, यह बताया गया कि पंचायती राज के डिजिटलीकरण के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीएससी-एसपीवी द्वारा सचिव, पंचायती राज मंत्रालय के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण दिया और उसके बाद, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ने पुणे जिले के 3 गांवों का दौरा किया था। तदुपरांत, 03 सितंबर 2019 को सचिव, एमओपीआर द्वारा पत्र जारी किया गया था। समिति ने महाराष्ट्र राज्य में सीएससी-एसपीवी के खराब कार्य-निष्पादन के संबंध में मंत्रालय के स्पष्ट उत्तर को स्वीकार किया। अतः, समिति का यह विचार है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए, स्मार्ट गवर्नेंस और सरकारी और

गैर-सरकारी दोनों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य को साकार करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय के विजन को प्राप्त करने में समय लगेगा। समिति का यह विचार है न केवल पुणे जो महाराष्ट्र के अग्रणी तकनीक-प्रेमी जिलों में से एक है बल्कि महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न भागों में तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाने के लिए मंत्रालय की ओर से निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच किए बिना राज्य सरकार को परामर्श जारी करना तर्कसंगत नहीं था।अतः, महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में समिति के अध्ययन दौरे के आलोक में, समिति का विचार है कि सीएससी के साथ समझौता ज्ञापन को जारी रखना एमओपीआर के लिए विवेकपूर्ण नहीं होगा। अतः समिति मंत्रालय से पुरजोर सिफारिश करती है कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों के प्रधान सचिव, सचिव, पंचायती राज को जारी दिनांक 03 सितंबर, 2019 के पत्र को तत्काल वापस लिया जाए और इस संबंध में सभी राज्यों को उचित पत्राचार किया जाए। समिति को इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

(सिफारिश क्रम सं 9)

10. समिति के समक्ष यह बात सामने आई कि इन सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) को महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्रतिवर्ष लगभग 1.50 लाख रुपये प्राप्त हो रहे हैं। बदले में वे हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अंतर्गत लाभार्थियों को वादा की गई सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं और ग्रामीण आबादी को केवल जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सीएससी ने लॉक डाउन अवधि के दौरान भी स्टेशनेरी वस्तुओं के लिए निधियाँ मांगी है। समिति को महाराष्ट्र के अध्ययन दौरे के दौरान अधिकारियों द्वारा यह बताया गया कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर और वर्धा जिलों के जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने सीएससी एसपीवी पर ग्राम पंचायतों में सह-स्थापित सीएससी के कार्यकरण में पाई गई अनियमितताओं के कारण जुर्माना लगाया है जैसे केन्द्रों की स्थापना न करना, समय पर हार्डवेयर की मरम्मत न करना और उन्हें न बदलना, केन्द्रचालक (डाटा एंट्री ऑपरेटर) का बार-बार अनुपस्थित होना अथवा कर्तव्यों का निष्पादन नहीं करना आदि। समिति ने चूककर्ता सीएससी द्वारा सरकारी धन के दुर्विनियोजन पर आपत्ति जताई । समिति सिफारिश करती है कि न केवल महाराष्ट्र बल्कि अन्य राज्यों में सरकारी धन के झूठे दावों के इन सभी मामलों की गहन जांच की जाए और दोषी सीएससी अधिकारियों के विरुद्ध यथाशीघ्र कार्रवाई की जाए। समिति का विचार है कि महाराष्ट्र में ग्राम पंचायतों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध सीएससी के कार्यकरण की जांच करने के लिए एक जांच समिति का गठन किया जाए। तदनुसार, मंत्रालय सरकारी राजकोष

से निधियों का सार्थक उपयोग करने के लिए सुधारात्मक उपाय करे और ग्राम पंचायतों को पुनर्अदायगी की संभावनाएं तलाश करे। समिति को इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए।

(सिफारिश क्रम सं 10)

11. भारत सरकार भारत की एक ऐसे डिजिटल रूप से समावेशी और सशक्त समाज के रूप में कल्पना करती है जहां अधिकांश ग्रामीण आबादी नई प्रौद्योगिकियों से लाभ उठाने में सक्षम हो, और स्वतंत्र रूप से सूचना और सेवाओं तक पहुंच सके और इसे साझा कर सके और विकास प्रक्रिया में अधिक प्रभावी ढंग से भाग ले सके। पंचायती राज मंत्रालय ने देश भर में प्रत्येक ग्राम पंचायत (जीपी) में कम से कम एक आत्मपनिर्भर सीएससी स्थापित करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण की परिकल्पना की है। इस उद्देश्य के अनुसरण में, अगस्त *2019* को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद, सचिव, एमओपीआर द्वारा डिजिटल भवन बनाने के लिए सामान्य सेवा केंद्रों और ग्राम पंचायतों के बीच तालमेल विकसित करने के लिए राज्यों को *3* सितंबर *2019* के पत्र के माध्यम से एक परामर्शिका जारी की गई। इस पृष्ठभूमि में, *2* राज्यों अर्थात् मध्य प्रदेश और उत्तराखंड ने सीएससी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जबकि, महाराष्ट्र ने *17* नवंबर *2016* को सीएससी के साथ हस्ताक्षरित अपने पहले के समझौता ज्ञापन का विस्तार किया। समझौता ज्ञापन के विभिन्न उपबंधों की गहन जांच करने पर समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि समझौता ज्ञापन के अंतर्गत परियोजना की निगरानी और प्रगति की समीक्षा के संबंध में एमओपीआर की महत्ती भूमिका है और इसे महत्वमपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। समझौता ज्ञापन के उपबंध *7.4* के अनुसार, पंचायती राज मंत्रालय एक नोडल अधिकारी को नामित करने के लिए कर्तव्यबद्ध है, जो राज्यों के साथ इस परियोजना की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करने के लिए परियोजना का समग्र प्रभारी होगा। इसके अलावा, समझौता ज्ञापन के प्रावधान *7.6* के अनुसार, पंचायती राज मंत्रालय को परियोजना निगरानी और संचालन समिति (पीएमएससी) का गठन करना होता है जिसमें एमओपीआर, सीएससी-एसपीवी और नामित राज्यों के अधिकारी शामिल होते हैं। इसके पास पर्यवेक्षण और निगरानी संबंधी कार्य होंगे और यह परियोजना के सुचारू संचालन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगी। संचालन समिति प्रगति की समीक्षा भी करेगी और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपयुक्त समय पर परामर्शिका/अनुदेश जारी करेगी। समिति यह नोट कर क्षुब्ध है कि मंत्रालय ने इस प्रयोजनार्थ नोडल अधिकारी नामित

करने का कोई प्रयास नहीं किया। महत्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद, पंचायती राज मंत्रालय ने अपने उत्तर में बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि पंचायत के 'राज्य' का विषय होने के कारण पंचायतों का डिजिटलीकरण मुख्य रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है और इस तरह इसने हमेशा अपनी जिम्मेदारी राज्यों पर डालने का प्रयास किया है। तथापि, मंत्रालय इस संबंध में अस्पष्ट उत्तर देकर समिति को प्रभावित करने में विफल रहा है। समिति इस मुद्दे पर मंत्रालय के स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि मंत्रालय ने अपनी भूमिका को गंभीरता से लिया है। पीएमएससी का गठन नहीं किया गया है जैसा कि इस समझौता ज्ञापन के तहत अधिदेशित है। इसलिए, समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय समझौता ज्ञापन में उसे सौंपी गई भूमिका और जिम्मेदारियों पर पुनर्विचार करे और सहकारी संघीय ढांचे जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों मिलकर एक-दूसरे के सहयोग से सामान्य समस्याओं का समाधान करते हैं, के तहत इस मुद्दे से निपटने के लिए एक ठोस रोडमैप तैयार करे। समिति चाहती है कि उसे इस संबंध में हुई प्रगति से इस रिपोर्ट के प्रस्तुत होने के तीन महीने के भीतर अवगत कराया जाए।

(सिफारिश क्रम सं. 11)

<u>स्वामित्व</u>

12. गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी से मानचित्रण (स्वामित्व) का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करना है। यह मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करने की सुविधा प्रदान करेगा जिसके परिणामस्वरूप ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए ग्रामीण आवासीय परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण हो सकेगा। साक्ष्य के दौरान समिति को बताया गया है कि *11* राज्यों में *100* जिलों के *106,978* गांवों ने सभी बसे हुए गांवों में ड्रोन फ्लाइंग को पूरा कर लिया है और *8* राज्यों के *28,072* गांवों में *36,56,173* संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं। इसके अलावा, सितंबर, *2022* तक इस योजना के अंतर्गत *357* सतत संचालन संदर्भ प्रणाली (सीओआरएस) नेटवर्क स्थापित किया गया है जो संदर्भ स्टेशनों का एक नेटवर्क प्रदान करता है जो भूमि के सीमांकन में लंबी दूरी तक सटीक पहुंच उपलब्ध कराता है। समिति इस संबंध में मंत्रालय द्वारा ईमानदारी से किए गए प्रयासों को देखकर प्रसन्न है क्योंकि इससे ग्रामीण परिवारों के सामाजिक आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त, समिति को इस योजना को प्रभावित करने वाली चुनौतियों से भी अवगत कराया गया है जैसे पर्याप्त संख्या में ड्रोन उपलब्धि न होना, मौसम का खराब होना

जैसे बाढ़ आना, तेज हवाएं चलना आदि, कुछ राज्यों में चुनावों का होना, कोविड-*19* महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंध, फील्ड स्तर की जनशक्ति की कमी होना आदि। इस संबंध में, समिति को विश्वास है और वह यह उम्मीद करती है कि मंत्रालय उल्लेखित बाधाओं को दूर करने के लिए निरंतर सक्रियता से प्रयास करेगा। तथापि, परियोजना के महत्व को ध्यान में रखते हुए, समिति यह सिफारिश करती है कि वित्त मंत्रालय को इस योजना के लिए पर्याप्त निधियां प्रदान करनी चाहिए ताकि परियोजना में तेजी लाई जा सके और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करके एक अग्रिम रूपरेखा तैयार की जा सके। समिति इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी।

(सिफारिश क्रम सं 12)

<u>पंद्रहवें वित्त आयोग के अनटाइड अनुदानों का प्रत्यायोजन</u>

13. एफएफसी ने अपनी सिफारिशों में ग्राम पंचायतों को निधियों का प्रत्यायोजन करने *के* लिए यह शर्त रखी कि पंचायती राज संस्थाओं का गठन विधिवत रूप से राज्यों द्वारा किया गया हो। साक्ष्य के दौरान एमओपीआर के सचिव ने समिति को बताया कि मध्य प्रदेश जैसे कई राज्य ऐसा नहीं कर रहे हैं और वे नियमित रूप से चुनाव नहीं करा रहे हैं। इन राज्यों में चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं और इससे संबंधित एफएफसी की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है। सचिव ने आगे बताया कि वित्त मंत्रालय ऐसे राज्यों को निधियों का प्रत्यायोजन न करने की उनकी सिफारिशों की अनदेखी कर देता है।अतः, समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय को इस मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उठाना चाहिए कि वह उन राज्यों को निधियां जारी न करे जिन्होंने नियमित चुनावों के बाद भी पंचायती राज संस्थाओं का गठन नहीं किया है क्योंकि यह एक आधारभूत संवैधानिक प्रावधान है। साथ ही, पंचायती राज मंत्रालय को इस मामले को राज्यों के साथ उठाना चाहिए और उन्हें नियमित चुनाव कराने और बिना किसी बाधा के एफएफसी अनुदानों के लिए पंचायती राज संस्थाओं का विधिवत गठन करने की सलाह देनी चाहिए। समिति को इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए।

(सिफारिश क्रम सं 13)

14. भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 (3) (खख) में यह विनिर्दिष्ट है कि केंद्रीय वित्त आयोग राज्य में पंचायतों के संसाधनों को पूरा करने के लिए राज्य की संचित निधि को

बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय करने के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे। इस प्रावधान के अनुसरण में, मंत्रालय ने पंचायतों के लिए वित्तीय प्रत्यायोजन में वृद्धि करने की परवर्ती केन्द्रीय वित्त आयोगों से सिफारिश की है। समिति को बताया गया है कि चौदहवें वित्त आयोग के अनुदान तक केवल ग्राम पंचायतें अनुदान के लिए पात्र थीं। तथापि, मंत्रालय की सिफारिश पर पंचायतों/ग्रामीण स्थानीय निकायों के तीनों स्तर और पारम्परिक निकाय अब पन्द्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत अनुदान के लिए पात्र हैं। समिति मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रसन्नता व्यक्त करती है।आगे, समिति को यह बताया गया कि पंचायती राज मंत्रालय वित्त मंत्रालय (एमओएफ) को ग्रामीण स्थानीय निकायों को पन्द्रहवें वित्त आयोग के अनटाइड (बिना किसी शर्त के) अनुदान जारी करने के लिए सिफारिश करने हेतु नोडल मंत्रालय है। साक्ष्य के दौरान, सचिव, एमओपीआर ने स्वीकार किया है कि एफएफसी अनटाइड (बिना किसी शर्त के) निधियों की निगरानी पंचायती राज मंत्रालय द्वारा की जाएगी। अतः समिति पंचायती राज मंत्रालय से सिफारिश करती है कि वह अपनी भूमिका का प्रभावी ढंग से निर्वहन करे और राज्यों को प्रत्यायोजित अनटाइड निधियों की निरंतर निगरानी के लिए एक तंत्र भी विकसित करे। समिति को इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए।

(सिफारिश क्रम सं 14)

15. पंद्रहवें वित्त आयोग ने 2021-2026 की अवधि के लिए अपनी सिफारिशों में कहा है कि जिन राज्यों ने संबंधित राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) का गठन नहीं किया है, वे मार्च, 2024 को या उससे पहले इसका गठन कर लें। मार्च, 2024 के बाद, किसी ऐसे राज्य को कोई अनुदान जारी नहीं किया जाएगा जिसने एसएफसी के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों और अन्य शर्तों का अनुपालन नहीं किया है । समिति नोट करती है कि वित्त मंत्रालय को सिफारिश करने से पहले यह सत्यापित करना एमओपीआर का कर्तव्य है कि राज्य वित्त आयोग के गठन से संबंधित शर्तों का अनुपालन हो और 15 वें वित्त आयोग के अनुदान जारी करने के लिए राज्यों द्वारा अपने अनुदान अंतरण प्रमाण पत्रों (जीटीसी) में प्रमाणित किया गया हो।आगे, समिति नोट करती है कि पंचायती राज मंत्रालय ने फरवरी, 2021 में राज्यों को एसएफसी की आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए एक परामर्श जारी किया है, जिसपर एमओपीआर द्वारा मार्च, 2024 से पहले कार्रवाई की जाएगी जिसके बाद यह लागू किया जाएगा। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय को इस मामले को राज्य

सरकारों के उच्चतम स्तर के साथ उठाना चाहिए और एफएफसी की सिफारिशों के अनुपालन के लिए उन पर दबाव डालना चाहिए क्योंकि इसका अनुपालन न होने से पंचायती राज संस्थाओं के निधियों के प्रत्यायोजन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा । समिति को इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए।

(सिफारिश क्रम सं 15)

<u>पारदर्शी, जवाबदेह और जीवंत ग्राम पंचायत सुनिश्चित करना</u>

16. सिटिज़न चार्टर वह दस्तावेज है जिसमें नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं के उपयोगकर्ताओं के रूप में उनकी सेवा हकदारी, वे मानक जो वे किसी सेवा से उम्मीद कर सकते हैं, उन मानकों का पालन न करने के खिलाफ उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्र और प्रक्रियाओं, लागत, गुणवत्ता, समय सीमा और सेवा शुल्क के बारे में सूचित करता है। सिटिज़न चार्टर ग्राम पंचायतों की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का एक साधन है। सिटिज़न चार्टर पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता निर्माण के घटकों में से एक है। समिति यह नोट करती है कि 2.55 लाख ग्राम पंचायतों में से 2.00 लाख ग्राम पंचायतों ने अपना सिटिज़न चार्टर तैयार कर लिया है, जिनमें से 1.96 लाख ग्राम पंचायतों ने ग्राम सभा के माध्यम से अपने चार्टर को अनुमोदित कर दिया है। यह सिटिज़न चार्टर के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है, हालांकि समिति के समक्ष 2021 में किए गए महाराष्ट्र और राजस्थान के अपने अध्ययन दौरे में इस संबंध में एक गंभीर परिदृश्य सामने आया। शायद ही कोई ग्राम पंचायत होगी जिसने ग्राम पंचायत भवन के बाहर नागरिक अधिकार पत्र बोर्ड लगाया हो। समिति मंत्रालय द्वारा उठाए गए अग्रसक्रिय कदम का स्वागत करती है क्योंकि विभिन्न राज्यों ने पंचायती राज मंत्रालय की पहल के कारण नागरिक अधिकार पत्र ऑनलाइन तैयार करने और अपलोड करने की बात कही है। उपरोक्त स्थिति के बावजूद, समिति महसूस करती है कि इस संबंध में निर्देशों का जमीनी स्तर पर अक्षरश: पालन नहीं किया जा रहा है। चूंकि यह सामाजिक जवाबदेही और पारदर्शिता लाने का एक प्रमुख घटक है, इसलिए समिति पंचायती राज मंत्रालय को इसे सभी राज्यों में प्रचालित करने के संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने की सिफारिश करती है। समिति अपेक्षा करती है कि ग्राम पंचायतों द्वारा न केवल उनके नागरिक अधिकार पत्र तैयार और ऑनलाइन अपलोड किए जाना सुनिश्चित करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएं अपितु समय

सीमा का भी अक्षरश: पालन किया जाए और उनका व्यापक प्रचार करें। समिति इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत होना चाहेगी। (सिफारिश क्रम संख्या 16)

17. वित्तीय प्रबंधन, पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में महत्वपूर्ण संस्थागत सुधार का समाधान करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने अप्रैल 2020 में पंचायत खातों के ऑनलाइन लेखा संपरीक्षा करने के लिए लेखा ऑनलाइन संपरीक्षा आवेदन शुरू किया। आवेदन में लेखा संपरीक्षा पूछताछ, प्रारूप स्थानीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, प्रारूप लेखा संपरीक्षा पैरा आदि के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की भी परिकल्पना की गई है। समिति को बताया गया कि 50 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में लेखा संपरीक्षा योजनाएं हैं और 31-01-2022 की तिथि के अनुसार 2020-21 की लेखा संपरीक्षा अवधि हेतु 40 प्रतिशत ग्राम पंचायतों के लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन सृजित कर दिए गए हैं। इसी प्रकार, 2020-21 की लेखा संपरीक्षा अवधि के लिए, 31-01-2022 की तिथि के अनुसार, 52 प्रतिशत ग्राम पंचायतों की लेखा संपरीक्षा योजनाएँ हैं और 21 प्रतिशत ग्राम पंचायतों की लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन सृजित किए गए हैं। एफएफसी की सिफारिशों के अनुसार, जिसे कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसके अनुसार 2023-24 से ग्राम पंचायतों के लिए 100 प्रतिशत ऑनलाइन लेखा संपरीक्षा अनिवार्य कर दिया गया है। यहां यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि लेखा संपरीक्षा सरकार के हाथों में यह निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है कि सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों को पंचायतों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार वास्तव में कैसे उपयोग किया गया और उन कारकों की पहचान करने के लिए जिनके कारण इष्टतम उपयोग कम होता है। यह पंचायतों के खातों को प्रमाणित करता है और सार्वजनिक रूप से पीआरआई के मामलों की सही और निष्पक्ष तस्वीर परिलक्षित करता है। तथापि, समिति ने देश के विभिन्न भागों में अपने विभिन्न अध्ययन दौरों के दौरान पाया है कि पंचायतों की लेखा संपरीक्षा समयबद्ध तरीके से नहीं कराई जाती है। इसके अलावा, एफएफसी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, यह अनिवार्य है कि राज्यों को नियमित रूप से पंचायतों की लेखा संपरीक्षा आयोजित करने के महत्व को कम नहीं करना चाहिए। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि पंचायती राज मंत्रालय को राज्य सरकारों के समक्ष उच्चतम स्तर पर मामले को उठाना चाहिए और उनसे एमओपीआर के ऑनलाइन आवेदन के लेखा संपरीक्षा के साथ ग्राम पंचायतों के खातों की समय पर लेखा संपरीक्षा करने और एफएफसी की शर्तों को पूरा

करने के लिए आग्रह करना चाहिए। समिति इस संबंध में की गई प्रगति से अवगत होना चाहेगी। (सिफारिश क्रम संख्या 17)

18. साक्ष्य के दौरान, सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि पंचायती राज संस्थानों को सभी तीन स्तरों पर एफएफसी के शर्तहीन अनुदान प्रदान करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। समिति का मत है कि एफएफसी की शर्तहीन निधि की नोडल एजेंसी होने की भूमिका केवल यह सुनिश्चित करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए कि केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को हस्तांतरित निधि पंचायती राज संस्थानों को प्रदान की गई है या नहीं और क्या राज्यों ने एफएफसी द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा किया है या नहीं। समिति का यह दृढ़ मत है कि मंत्रालय को निधि की प्रदायगी में प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए और निधियों के हस्तांतरण की सिफारिश करने की केवल नाममात्र की भूमिका तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। इस आकलन को ध्यान में रखते हुए कि क्या ग्रामों की कल्याणकारी योजनाओं के लिए पंचायतों को दी जाने वाली धनराशि का उपयोग सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार विवेकपूर्ण ढंग से किया जा रहा है। समिति ने अपने अध्ययन दौरों के दौरान पंचायतों की लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं के पहलू पर बार-बार व्यक्त किया था, इसलिए समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को इस मामले को राज्य सरकारों के समक्ष और साथ ही साथ उच्चतम स्तर पर वित्त मंत्रालय के समक्ष सक्रिय रूप से उठाना चाहिए और पंचायतों की प्रमाणित लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति जांच के लिए उपलब्ध कराने और यह सुनिश्चित करने के लिए उस से आग्रह करे कि निधियों का विवेकपूर्ण उपयोग किया गया है । समिति इस संबंध में की गई प्रगति से अवगत होना चाहेगी।

(सिफारिश क्रमांक 18)

नई दिल्ली ; प्रतापराव जाधव
14 मार्च, 2022 सभापति
23 फाल्गुन, 1943 (शक) ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति

अनुबंध I

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (2021-2022)

समिति की मंगलवार, 22 फरवरी, 2022 को हुई सातवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक 1100 बजे से 1345 बजे तक कमरा सं. "1" संसदीय सौध विस्तार भवन, ब्लॉक - 'ए' (ईपीएचए - 'ए'), नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री प्रतापराव जाधव- *सभापति*

सदस्य

लोक सभा

2. श्री ए.के.पी. चिनराज
3. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया
4. डॉ. मोहम्मद जावेद
5. श्री नरेंद्र कुमार
6. श्री जनार्दन मिश्र
7. श्री तालारी रंगैय्या
8. श्रीमती गीताबेन वजेसिंहभाई राठवा
9. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह
10. श्री विवेक नारायण शेजवलकर
11. डॉ. आलोक कुमार सुमन

राज्य सभा

12. श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया
13. श्री शमशेर सिंह ढुलो
14. श्री अजय प्रताप सिंह

सचिवालय

1. श्री डी.आर. शेखर - संयुक्त सचिव
2. श्री ए.के. शाह - निदेशक
3. श्री निशांत मेहरा - उप सचिव

पंचायती राज मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री सुनील कुमार - सचिव
2. डॉ. चंद्र शेखर कुमार - अपर सचिव
3. सुश्री लीना जोहरी - अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार
4. डॉ. बिजय कुमार बेहरा - आर्थिक सलाहकार
5. श्री खुशवंत सिंह सेठी - संयुक्त सचिव
6. श्री आलोक प्रेम नागर - संयुक्त सचिव
7. सुश्री रेखा यादव - संयुक्त सचिव
8. श्री आर.डी.चौहान - सीसीए
9. श्री कमलेश कुमार त्रिपाठी - निदेशक
10. श्री सुधांशु महापात्रा - वैज्ञानिक बी

2. सर्वप्रथम, सभापति ने पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) की जांच के संबंध में पंचायती राज मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लेने हेतु आयोजित समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

[तत्पश्चात साक्षियों को अंदर बुलाया गया]

3. सभापति ने साक्षियों का स्वागत करने के पश्चात मंत्रालय का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट कराया कि यहां जो भी चर्चाएं हुई हैं, उन्हें गोपनीय माना जाएगा और समिति की रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत किए जाने तक सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। तत्पश्चात, सभापति ने विभिन्न पंचायती राज योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिए मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित/आवंटित योजना-वार निधियों का उल्लेख किया और सचिव से अनुरोध किया कि वे समिति को इस संबंध में संक्षिप्त जानकारी दें। तत्पश्चात्, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव ने

पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आबंटनों जैसे वर्ष 2022-23 के लिए बजटीय आबंटन के साथ साथ विभिन्न वर्षों में अब तक किया गया निधियों का उपयोग और आरजीएसए, स्वामित्व आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत की गई पहलों पर प्रकाश डाला गया।

4. तत्पश्चात्, सदस्यों ने विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं के लिए बजट की पर्याप्तता, योजनाओं के कार्यान्वयन पर इसके प्रभाव और इस संबंध में विभाग द्वारा की गई प्रगति से संबंधित मुद्दों पर प्रश्न पूछे जिनका उत्तर साक्षियों द्वारा दिया गया।

5. तत्पश्चात, सभापति ने पंचायती राज मंत्रालय के प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया और उनसे सदस्यों द्वारा उठाए गए उन मुद्दों के संबंध में जानकारी सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराए जाने के लिए कहा जिनके संबंध में उत्तर तत्काल उपलब्ध नहीं थे।

[तत्पश्चात साक्षी साक्ष्य देकर चले गए]

5. कार्यवाही का शब्दश: रिकॉर्ड रखा गया है ।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

*****

अनुबंध II

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (2021-2022)

समिति की सोमवार, 14 मार्च, 2022 को हुई आठवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक 1500 बजे से 1600 तक नई समिति कक्ष संख्या '2', संसद भवन एनेक्सी विस्तार भवन, ब्लॉक -'ए' (पीएचए-विस्तार 'ए'), नई दिल्ली.

उपस्थित

श्री प्रतापराव जाधव - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री ए.के.पी चिनराज
3. श्री विजय कुमार दुबे
4. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया
5. डॉ. मोहम्मद जावेद
6. श्री नलीन कुमार कटील
7. श्री नरेन्द्र कुमार
8. श्री जनार्दन मिश्र
9. श्रीमती गीताबेन वजेसिंगभाई राठवा
10. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह
11. श्री विवेक नारायण शेजवलकर
12. डा. आलोक कुमार सुमन
13. श्री श्याम सिंह यादव

राज्य सभा

14. श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया
15. श्री शमशेर सिंह ढुलो
16. श्री ईरण्ण कड़ाड़ी
17. श्री नारणभाई जे राठवा
18. श्री राम शकल
19. श्री अजय प्रताप सिंह

सचिवालय

1.	श्री डी.आर. शेखर	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री ए. के. शाह	-	निदेशक
4.	श्री निशांत मेहरा	-	उप सचिव

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने XXX XXX XXX, XXX XXX XXX तथा पंचायती राज्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) संबंधी तीन प्रारूप प्रतिवेदनों एवं XXX XXX XXX पर विचार करने और उन्हें स्वीकार करने हेतु बुलाई गई इस बैइक में सदस्यों का स्वागत किया।

3. तत्पश्चात् समिति ने निम्नलिखित चार प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार कियाः-

(एक) XXX XXX XXX;
(दो) XXX XXX XXX;
(तीन) पंचायती राज मंत्रालय की अनुदान मांगे (2022-23); और
(चार) XXX XXX XXX.

4. प्रारूप प्रतिवेदनों पर क्रमवार विचार किया गया तथा विस्तृत विचार-विमर्श के बाद समिति ने उक्त प्रतिवेधनों को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात, समिति ने कार्यकारी सभापति को उक्त प्रारूप प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और इन्हे संसद में यथाशीघ्र प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

******

XXX प्रारूप प्रतिवेदन से संबंधित नहीं है